



Notice Inviting E-Tender

To,

Dear Sir / Madam,

Construction of new dispensary & installation of modular kitchen in Flat no. K-66, CLOQ, RBI, Kanpur

Reserve Bank of India, Kanpur invites e-tender for '**Construction of new dispensary & installation of modular kitchen in Flat no. K-66, CLOQ, RBI, Kanpur**' The e-tendering shall be done through the e-tendering portal of MSTC Ltd (<http://mstcecommerce.com/eprocn>). All eligible and interested companies / agencies / firms must register themselves with MSTC Ltd through the above-mentioned website to participate in the e-tendering process. The Schedule of e-tender is as follows:

E-Tender No.	RBI/Kanpur Regional Office/Estate/3/26-27/ET/96
a) Estimated cost	7,59,034/- (Rupees Seven lakh fifty-nine thousand thirty-four only)
b) Mode of e-tender	e-Procurement System (Online Part I - Techno-Commercial Bid and Part II - Price Bid through www.mstcecommerce.com/eprocn)
c) Type of e-tender	Limited (Only for firms empaneled with RBI, Kanpur under 5 Lakh to 50 Lakh category of Civil Works)
d) Date of NIT available to parties to download	May 19, 2026, 3:00 P.M. Onwards
e) Pre-bid meeting (Offline)	June 09, 2026, 11:00 A.M. Onwards Venue: Estate Department, 2nd Floor, Reserve Bank of India, Mall Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001
f) EMD through NEFT	Nil
g) E-Tender Fees	NIL
h) Date of Starting of e-tender for submission of on-line Techno-Commercial Bid and price Bid at http://mstcecommerce.com/eprocn	June 11, 2026, 3:00 P.M. Onwards
i) Last date of submission of EMD	June 22, 2026, till 3:00 P.M.
j) Date of closing of online e-tender for submission of Techno-Commercial Bid & Price Bid.	June 22, 2026, at 3:00 P.M.
k) Date & time of opening of Part-I (i.e. Techno-Commercial Bid)	June 22, 2026, 3:00 P.M. Onwards
Date & time of opening of Part II i.e. price bid	June 22, 2026, 3:30 P.M. Onwards

l) Validity of the e-tender	90 days from the date of opening of Techno-Commercial bid
m) Transaction Fee (Non-refundable) (To be paid separately by the tenderers to MSTC vide MSTC E-Payment Gateway for participating in the e-tender)	As per MSTC

2. Applicants intending to apply will have to satisfy the Bank by furnishing documentary evidence in support of their possessing required eligibility and in the event of their failure to do so, the Bank reserves the right to reject their bids.
3. The Bank is not bound to accept the lowest tender and re:serves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.
4. Any amendments / corrigendum to the tender, if any, issued in future will only be notified on the RBI Website and MSTC Website as given above and will not be published in the newspaper.

Regional Director
Reserve Bank of India
Kanpur

कवर पेज

भाग I

भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
कानपुर

(नियम और शर्तें और तकनीकी विनिर्देश)

ई-निविदा
के लिए

फ्लैट संख्या के -66, CLOQ, आरबीआई, कानपुर में नए डिस्पेंसरी का निर्माण और मॉड्यूलर
किचन की स्थापना।

RBI/Kanpur Regional Office/Estate/3/26-27/ET/96

जारी: _____

जमा करने की अंतिम तिथि: 22 जून, 2026, दोपहर 3:00 बजे तक।

खुलने की तिथि: 22 जून, 2026, दोपहर 3:00 बजे से

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को कार्य की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस संबंध में कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई आश्वासन व्यक्त या निहित करते हैं।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। इस ई-टेंडर के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी और उन्हें केवल ई-टेंडर दस्तावेजों/प्रपत्रों में निहित जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित ध्यान नहीं किया जाता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

यह सूचना दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना/कार्य के साथ आगे न बढ़ने या परियोजना के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
कानपुर

विषय-सूची

ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना	1
कवर पेज	3
अस्वीकरण	4
विषय-सूची	5
ई-टेंडर का फॉर्म	6
करारनामा / करार की शर्तें	11
खंड ए: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें	18
खंड बी: सुरक्षा कोड	24
खंड सी: अग्नि सुरक्षा कोड	25
खंड डी: यहां पहले की शर्तों को संदर्भित	26
खंड ई: विशेष शर्तें	38
अनुलग्नक- I: परिशिष्ट उसमें संदर्भित	40
अनुलग्नक- II: ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	42
अनुलग्नक- III: निविदाकर्ता के बैंकों का विवरण	46
अनुलग्नक- IV: ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण	47
अनुलग्नक-V: अनुमोदित सामग्रियों की सूची	48
माप के विनिर्देश और माध्यम	50
भाग II	52

ई-निविदा प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सम्पदा विभाग,
कानपुर

प्रिय महोदय,

इसके बाद ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, चित्रों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद और ई-निविदा से संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच करने के बाद, हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की आपूर्ति और निष्पादन की पेशकश करते हैं, ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में ई-निविदा की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित रूप में निर्देशों के साथ, 'करार, विशेष शर्तें, मात्रा और अनुबंध की शर्तों की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ जो इसके लिए प्रदान की जाती हैं, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, को पूरा करने का प्रस्ताव देते हैं।

ज्ञापन

ई-निविदा सं.	RBI/Kanpur Regional Office/Estate/3/26-27/ET/96
a) अनुमानित लागत	7,59,034/- (सात लाख उनसठ हजार चौंतीस रुपये मात्र)
b) ई-निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली http://mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से
c) ई-निविदा का प्रकार	सीमित (केवल आरबीआई, कानपुर के साथ सूचीबद्ध फर्मों के लिए 5 लाख से 50 लाख श्रेणी के सिविल कार्य)
d) पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए एनआईटी की तिथि की उपलब्धता	09 मई, 2026, दोपहर 3:00 बजे से
e) बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)	09 जून, 2026, सुबह 11:00 बजे से स्थान: सम्पदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
f) एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी और निर्धारित प्रारूप में एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें (अनुलग्नक IV देखें)	शून्य
g) ई-निविदा शुल्क	शून्य
h) ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	11 जून 2026, दोपहर 3:00 बजे से http://mstcecommerce.com/eprocn पर

i) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	22 जून 2026, दोपहर 3:00 बजे तक
j) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	22 जून 2026, दोपहर 3:00 बजे
k) भाग-I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) भाग II के खुलने की तिथि और समय यानी मूल्य बोली	22 जून 2026, दोपहर 3:00 बजे से 22 जून 2026, दोपहर 3:30 बजे से
l) ई-टेंडर की वैधता	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
m) लेन-देन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से भुगतान किया जाना है)	एमएसटीसी के अनुसार

2. यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा अनुबंध की उक्त शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हैं।

3. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता)

(i)	
(ii)	

हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

(i)	
(ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का नाम	
या	
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी	

की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
--	--

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

करारनामा / Articles of Agreement

(₹100/- स्टाम्प पेपर पर) / (On ₹100/- stamp paper)
(केवल सफल बोलीकर्ता हेतु) / (Only for successful bidder)

यह करार वर्ष.....के..... वें दिन एक पक्ष के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है) और दूसरे पक्ष _____ (जिन्हें इसके बाद "संविदाकर्ता" कहा गया है) के बीच निष्पादित किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the _____ day of _____ between the Reserve Bank of India, KANPUR (hereafter called "The Bank") of the one part and _____ (thereinafter called "the Contractor") of the other part.

जबकि बैंक 'अधिकारी आवास, सिविल लाइंस स्थित फ्लैट संख्या K-66 में मॉड्यूलर किचन तथा कॉलोनी में नए औषधालय का निर्माण का कार्य' कार्य कराने का इच्छुक है और विनिर्देश तैयार किए हैं जिसमें किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है।
और जबकि उक्त विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची पर उनके द्वारा अथवा पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS The Bank is desirous of getting the work "फ्लैट संख्या के -66, CLOQ, आरबीआई, कानपुर में नए डिस्पेंसरी का निर्माण और मॉड्यूलर किचन की स्थापना।" and has caused specifications describing the works to be done.

AND WHEREAS the said specifications, the Schedule of Quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जबकि बोलीकर्ता इसमें निर्धारित की गई शर्तों और संविदा की विशेष शर्तों और मात्रा अनुसूची में उल्लिखित की गई शर्तों तथा यथा संशोधित एवं अंतिम रूप से दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत संविदा की शर्तों (जिन्हें समग्रतः इसके बाद "कथित शर्तें" कहा गया है) में निहित शर्तों के अधीन बैंक की उक्त अपेक्षा और /अथवा कथित विनिर्देश में उल्लिखित कार्य और मात्रा-अनुसूची में शामिल कार्य को निष्पादित करने हेतु सहमत है जिसे वह उक्त में तय की गई राशि के अनुसार अथवा उसके अधीन देय होने वाली राशि के अनुसार निर्धारित दर (जिसे इसके बाद 'कथित संविदा राशि' कहा गया है) पर करेगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject to the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said specification and included in the Schedule of Quantities at the respective rates therein set forth amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there-under (hereinafter referred to as 'the said Contract Amount')

अतः अब उनके बीच निम्नलिखित रूप से करार किया जाता है :-

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. निर्धारित शर्तों में उल्लिखित समय और तरीके से संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए, बोलीकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार और उनके अधीन निविदा विनिर्देशों में और मात्रा अनुसूची में यथा उल्लिखित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

In considerations of the said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said Conditions, the Contractors shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work as described in the said Specifications and the Schedule of Quantities.

2. नियोक्ता बोलीकर्ता को निर्धारित शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और तरीके से देय संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा।

The Employer shall pay the Contractor, the said Contract Amount or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions.

3. उक्त शर्तों में 'आर्किटेक्ट' शब्द का आशय इस संविदा के तहत निर्मित किए जाने वाले भवन/संरचनाओं की वास्तुशिल्पीय योजना और डिजाइनिंग आदि के उद्देश्य हेतु महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर से है। संविदा में उल्लिखित कार्य हेतु जिस भी कारण से आर्किटेक्ट की हैसियत समाप्त होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा नामित अन्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों उस प्रयोजन के लिए आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करेगा।

क. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणीकरण, भुगतान करने और विभिन्न नियमों, शर्तों और संविदा की शर्तों को लागू करने के लिए सीधे व्यवस्था करेगा (संविदा के उपर्युक्त खंड के तहत परिभाषित कार्य को छोड़कर)। इस प्रयोजन के लिए कार्य में तेजी लाने, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति और उसे पूरा करने आदि के बारे में उक्त शर्त में उल्लिखित आर्किटेक्ट से आशय सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) अथवा इस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिक कोई अन्य व्यक्ति से होगा। संविदा के प्रावधानों को लागू करने अर्थात् मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटाने से संबंधित खंड के मामले में आर्किटेक्ट शब्द का आशय ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा या व्यक्तियों से होगा जिन्हें इस कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा।

The term 'Architect' in the said conditions shall mean General Manager/DGM, Estate Department, Reserve Bank of India Kanpur for the purpose of architectural planning & designing etc. of the buildings / structures to be constructed under this contract. In the event of their ceasing to be Architects for the work mentioned in the contract for whatever reason such other person or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

- (a) The Reserve Bank of India will administer and directly arrange for supervision of works, certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract (except for the scope of work as defined under clause 3 above). For this purpose, the term Architect in the said condition regarding escalation of work, quality of construction, quality of materials, progress & completion of the project etc. shall mean the Assistant General Manager (Tech) / Manager (Tech) / Assistant Manager (Tech) or any other person designated for the purpose by the Competent Authority, Reserve Bank of India. As far as the operation of the provision of the Contract viz. Clause relating to settlement of disputes through arbitration, the term 'Architect' shall be read as such other person

or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

4. सक्षम प्राधिकारी को इस कार्य हेतु प्रभारी अभियंता नियुक्त करने का अधिकार है। यदि विभाग में सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) नहीं है, तो प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, यदि प्रबंधक (तकनीकी) भी नहीं है, तो समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से सहायक प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य करेगा।
The Competent Authority has the power to designate Engineer-in-Charge for this work. In case the department does not have AGM with technical background in that case Engineer-in-Charge for this work can be a Manager (Tech). Further, in case of non-availability of Manager (Tech), Assistant Manager (Tech) will act as Engineer-in-Charge with due approval of Competent Authority.
5. उक्त शर्तों और इसके साथ संलग्न परिशिष्ट को इसके साथ पढ़ा जाए और उन्हें इस करार का एक हिस्सा माना जाएगा तथा पक्षकारों को उक्त शर्तों का पालन करना होगा और उक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः अपने-अपने हिस्से का करार निष्पादित करना होगा।
यहां योजनाएं, करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज इस करार के आधार होंगे।
The said conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement, and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.
The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract
6. यह संविदा न तो कोई नियत एकमुस्त संविदा है, न ही खंडित कार्य संविदा है, बल्कि "नियोक्ता **“अधिकारी आवास, सिविल लाइंस स्थित फ्लैट संख्या K-66 में मॉड्यूलर किचन तथा कॉलोनी में नए औषधालय का निर्माण का कार्य”** के संबंध में संपूर्ण कार्य करने हेतु संविदा है, जिसके लिए भुगतान दर अनुसूची में दी गई दरों पर वास्तविक तयशुदा मात्रा और संभावित मात्रा के अनुसार अथवा निर्धारित शर्तों में किए गए प्रावधान के अनुसार किया जाना है।
This Contract is neither a fixed Lump Sum Contract nor a Piece Work Contract but a Contract to carry out the work in respect of the entire of the **“फ्लैट संख्या के -66, CLOQ, आरबीआई, कानपुर में नए डिस्पेंसरी का निर्माण और मॉड्यूलर किचन की स्थापना।”** to be paid for according to the actual measured quantities at the rate contained in the schedule of rates and probable quantities or as provided in the said Conditions.
7. संविदाकर्ता सिविल कार्यों, सेनेटरी कार्य और फिटिंग्स का संस्थापन, स्थायी जल आपूर्ति, इलेक्ट्रिकल संस्थापन, फिटिंग्स, लिफ्ट, टेलीफोन, एयर कंडीशनिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को करने हेतु हर यथोचित सुविधा उपलब्ध कराएगा और कार्य पूरा होने के पश्चात दीवारों, फर्शों इत्यादि को हुई किसी भी क्षति की भरपाई करेगा।
The Contractor shall afford every reasonable facility for the carrying out of all works relating to civil works, installation of sanitary work and fittings, permanent water supply, electrical installations, fittings, lifts, telephone, air conditioning and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions and shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.
8. नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी कार्य को जोड़कर अथवा हटाकर अथवा उक्त कार्य के किसी भाग को किसी और से कराकर कार्य के स्वरूप में बदलाव कर सकता है।

The Employer reserves to itself the right of altering the drawings & nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.

9. समय को इस संविदा का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा और संविदाकर्ता इसके द्वारा औपचारिक कायदेशि जारी होने के दिन से जैसा कि उक्त शर्तों में प्रावधान है, कार्य प्रारंभ कर देने और पूरा विनिर्दिष्ट कार्य **60 दिन** के भीतर पूर्ण कर देने पर सहमत है, तथापि यह समय विस्तार के प्रावधान के अधीन होगा।

Time shall be the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work soon after the site is handed over to him or from the date of issue of formal work order as provided for in the said conditions whichever is later and to complete the entire work within **60 days** subject nevertheless to the provisions for extension of time.

10. इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल कानपुर में किए जाएंगे।

All payments by the Employer under this Contract shall be made only at Kanpur.

11. इस करार से उत्पन्न अथवा इससे किसी भी रूप में जुड़े सभी विवादों के बारे में यह माना जाएगा कि वे कानपुर में उत्पन्न हुए हैं और उन पर केवल कानपुर स्थित न्यायालयों को उन पर निर्णय देने का अधिकार होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Kanpur and only Courts in Kanpur shall have jurisdiction to determine the same.

12. इस संविदा के अनेक हिस्से संविदाकर्ता द्वारा पढ़ लिए गए हैं और संविदाकर्ता द्वारा पूरी तरह से समझ लिए गए हैं। जब तक बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने लिखित रूप में विशेष निर्देश न दिए हों तब तक संविदाकर्ता को निविदा में उल्लिखित मात्राओं के परे भुगतान नहीं किया जाएगा।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood. The Contractor shall not be entitled for the payment for the quantities beyond the tendered quantities unless ordered for by specific written instructions from the Bank's competent authority.

13. संविदाकर्ता और उसका कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी कोई भी सूचना, सामग्री और बैंक की आधारभूत संरचना/ सिस्टम / उपकरण आदि का विवरण जो इस करार से जुड़े अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उसके कब्जे या संज्ञान में आई हों, किसी अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। संविदाकर्ता करार के विवरण उस सीमा तक निजी और गोपनीय रखेगा जब तक कि इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने अथवा प्रयोज्य कानूनों के पालन हेतु अन्यथा अपेक्षित न हो। संविदाकर्ता नियोक्ता की लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्य के किसी भी विवरण को किसी व्यावसायिक या तकनीकी पत्र अथवा अन्यत्र न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा अथवा उसका खुलासा ही करेगा। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के कारण नियोक्ता को होने वाले नुकसान हेतु संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को क्षतिपूरित किया जाएगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकर्ता के स्तर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को हक होगा कि वह हुए नुकसान का दावा करे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे।

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details

of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE

क) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से संविदाकर्ता का होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में संविदाकर्ता/ एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।

A. The Contractor /Agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of the " Sexual Harassment of the women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the internal complaints committee constituted by the contractor / Agency and the Contractor / Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

ख) संविदाकर्ता के किसी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

B. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

ग) संविदाकर्ता के कर्मचारियों की संलिप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकर्ता उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए यदि संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यौन हिंसा प्रमाणित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत का भुगतान संविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।

C. The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा संबंधित मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदाकर्ता की होगी।

D. The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

ङ.) संविदाकर्ता अपने उन कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा जिन्हें बैंक परिसर में काम पर लगाया गया है।

E. The contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

15. संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के मामले में वे सभी उचित कदम उठाएगा जिससे कि इस करार के अधीन सभी गोपनीय सूचनाओं के गैर-प्रकटीकरण की शर्त का पूर्ण अनुपालन हो। अप्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी संविदाकर्ता की बाध्यता इस करार की समाप्ति/निरस्तीकरण, चाहे जिस वजह से हो, के उपरांत भी रहेगी।

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

<p>यदि संविदाकर्ता कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो</p> <p>If the contractor is a Partnership or an Individual</p>	<p>गवाहों की उपस्थिति में बैंक और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को इन कागजात पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.</p>
<p>यदि संविदाकर्ता कोई कंपनी हो</p> <p>If the contractor is a Company</p>	<p>गवाहों की उपस्थिति में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन कागजात पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को अपनी ओर से इस पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपनी मुहर लगवा दी है।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Bank has set its hand to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicate/has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.</p>

हस्ताक्षर खंड Signature Clause

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of

श्री/Shri

(नाम और पदनाम)

.....

की उपस्थिति में/in the presence of

(1)

पता/Address

(2)

पता/Address

गवाह Witnesses

<p>SIGNED AND DELIVERED BY</p> <p>1).....</p> <p>Address</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2)</p> <p>Address</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Witnesses</p> <p>THE COMMON SEAL OF</p> <p>Was hereunto affixed pursuant to the resolutions passed by its Board of Directors at the meeting held on.....</p> <p>In the presence of</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>यदि पक्षकार कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो, तो सभी साझेदारों अथवा साझेदार की ओर हस्ताक्षर करने चाहिए।</p> <p>If the part is a partnership firm or any individual should be signed by all or on behalf of all the partners.</p> <p>यदि बोलीकर्ता मुहर लगाकर हस्ताक्षर करता है तो उपस्थितों का हस्ताक्षर खंड संस्था के अंतर्नियम में दिए मुहर लगाने के खंड से मेल खाना चाहिए।</p> <p>If the Contractor signs under its Common Seal the signature clause should tally with their sealing clause in the Articles of Associations.</p> <p>यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति।</p>
---	---

<p>Directors who have signed these presents in taken thereof in the presence of</p> <p>1).....</p> <p>2).....</p> <p>SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand of</p> <p>Shri</p> <p>and duly constituted attorney.....</p> <p>.....</p>	<p>The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.</p> <p>यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति।</p> <p>The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.</p>
---	---

खंड क: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर अपने पैनल में शामिल ठेकेदारों से दो भागों में <http://mstcecommerce.com/eprocn> पर ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पैनल में शामिल ठेकेदारों को उल्लिखित पोर्टल पर भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (वित्तीय बोली) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

1. ई-निविदा दस्तावेज़:

- i. निविदा में दस्तावेज़ (भाग I और भाग II) शामिल होंगे। भाग I में तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें (सभी खंड और अनुलग्नक) शामिल हैं, जिसमें इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई कोई अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि शामिल हैं। भाग II में केवल वित्तीय बोली शामिल है। ई-निविदा दस्तावेज़ / निविदा आमंत्रित करने की सूचना <http://mstcecommerce.com/eprocn> से डाउनलोड किया जा सकती है।
- ii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-टेंडर दस्तावेज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।
- iii. ई-निविदा जमा करने को सावधानीपूर्वक अध्ययन और ई-निविदा दस्तावेज़ों की जांच के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

2. निविदा दस्तावेज़ों को प्राप्त करना:

- i. ई-निविदा दस्तावेज़/निविदा आमंत्रित करने की सूचना <http://mstcecommerce.com/eprocn> से डाउनलोड की जा सकती है।
- ii. इच्छुक पार्टियां यदि चाहें तो किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपदा विभाग के अधिकारियों से फोन/ई-मेल पर संपर्क कर सकती हैं।

3. प्री-बिड मीटिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक बोली आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर बोली-पूर्व बैठकें आयोजित करेगा, ताकि किसी भी प्रश्न/परियोजना के संबंध में निविदाकर्ताओं को स्पष्टीकरण/ उत्तर दिया जा सके और उन्हें इसके बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जा सके।

4. ई-निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

- i. बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और इसे संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए <http://mstcecommerce.com/eprocn> को शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा।
- ii. ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी निविदाकारों को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

निविदा तैयार करना

a) भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली:

- i. सभी अनुभाग और अनुलग्नक तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा हैं। सभी अनुभागों और अनुलग्नकों पर निविदाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- ii. निविदाकर्ता को विभिन्न अनुभागों में निर्दिष्ट सभी विवरणों को भरना होगा और उत्पाद के पत्रक/आवश्यक दस्तावेज़ों/ब्रोशर आदि को संलग्न करना होगा।

- iii. निविदाकर्ताओं को <http://mstcecommerce.com/eprocn> पर सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करके निविदा में बताए गए पूर्व-योग्यता मानदंड और अन्य दस्तावेजों के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

b) भाग II/वित्तीय बोली:

- (i) **बोली के लिए मुद्रा:** बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में कार्य से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी जेब/व्यवस्था का खर्च, उपकरण, कार्यकर्ता की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (जीएसटी सहित), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर) श्रम, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान आदि शामिल हैं, जैसा कि नियमों के अनुसार लागू होता हो।
- (ii) कीमत को मूल्य अनुसूची के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
- (iii) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे जा सकते हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II/वित्तीय बोली को खोलने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) यदि मूल्य अनुसूची का कोई कॉलम खाली पाया जाता है, तो संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो, बैंक निविदा खंड के अनुसार इस मामले में समीक्षा भी कर सकता है।
- (v) दरों को निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों और शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए। ई-टेंडर भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को ई-टेंडर के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है; इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर ई-निविदा को शून्य कर देगी। ई-टेंडर खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, ई-टेंडर को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- (vii) प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका अनुबंध के कार्य प्रदर्शन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पद सकता है। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण वस्तुओं की डिलीवरी की कीमत या समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

5. बोलियों की वैधता की अवधि

निविदा आमंत्रित करने की सूचना में दर्शाई गई अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए बोलियां वैध रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से और बढ़ाया जाएगा।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने का कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने पास आरक्षित रखता है।
7. (क) ठेकेदार द्वारा संविदा को उचित रूप से पूरा करने के लिए आगे की सुरक्षा के रूप में, अंतरिम/अंतिम भुगतानों के मूल्य की 5% राशि ठेकेदार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से प्रतिधारण धन के रूप में बैंक द्वारा काटी जाएगी। 12 महीने की देनदारी अवधि के दौरान बताए गए दोषों को ठीक करने के बाद प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। **बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं देय है।**

(ख) इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवज़े या अन्य धनराशि को, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, तो उसकी बयाना राशि और सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है; और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि किसी अन्य प्रकार से देय न हो जाए, ऐसी कटौती के दस दिनों के भीतर, इस प्रकार काटी गई राशि को नकद रूप में पूरा करेगा।

8. बोलियां जमा करने की प्रक्रिया

इस निविदा के लिए **टू-कवर/पार्ट सिस्टम** रखने का प्रस्ताव है

a) तकनीकी - वाणिज्यिक बोली/भाग I में निम्नलिखित मद्दे शामिल हैं:

- i. भाग-I / तकनीकी - वाणिज्यिक बोली (सभी खंड और अनुलग्नक)। कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग-I/तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली <http://mstcecommerce.com/eprocn> को प्रस्तुत की जा सकती है।
- ii. पूर्व-योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण, यदि कोई हो <http://mstcecommerce.com/eprocn> पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।

b) भाग II/वित्तीय बोली

- i. भाग II/वित्तीय बोली <http://mstcecommerce.com/eprocn> को प्रस्तुत की जा सकती है
- ii. कोई सशर्त/वैकल्पिक कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iii. निविदाकर्ताओं को उनकी बोलियों की प्राप्ति के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- iv. जिन लोगों ने निविदा डाउनलोड की है, उन्हें पात्रता मानदंड, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

9. ई-निविदाओं की प्राप्ति

ई-निविदा बोलियां निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएंगी जैसा कि निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

10. भाग I का खोला जाना

तकनीकी - वाणिज्यिक बोलियां निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएंगी, जैसा कि सम्पदा विभाग, आरबीआई कानपुर में निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित है। निविदाकार या उनके

अधिकृत प्रतिनिधि, यदि वे चाहें, तो उपस्थित हो सकते हैं।

11. भाग I की जांच

- i. भाग I का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष स्थिति में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- ii. भाग I के मूल्यांकन के बाद, शॉर्ट-लिस्ट किए गए सभी ई-निविदाकर्ताओं को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। भाग-I पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।

12. भाग II / वित्तीय बोली का खोला जाना

शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों के भाग-II को बाद में खोला जाएगा, और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि यदि चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं।

13. भाग II की जांच

भाग II का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष स्थिति में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, सबसे कम निविदाकर्ता (एल 1) घोषित किया जाएगा।

14. बैंक को आदेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर करते समय मात्रा में भिन्न-भिन्न होने का अधिकार है।

15. किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

- a) ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं पड़ता है। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।
- b) भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित के कारण अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
 - i. यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
 - ii. किसी भी घटना जिसके कारण चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।
 - iii. निविदाकर्ताओं की ओर से संभावित मिलीभगत/शरारत का कोई प्रमाण, जिससे चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर होता हो, या कोई अन्य कारण, जिसके आधार पर बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक हो।
 - iv. ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सभी निविदाकर्ताओं को 7 दिनों या ऐसे निर्णय के किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
 - v. बैंक प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या

अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (ए) से (डी) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।

vi. बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों को हतोत्साहित करता है।

16. **ठेकेदार अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से को असाइन नहीं करेगा।** वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द करने वाले ठेकेदार पर लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक को सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
17. ठेकेदार बैंक के इंजीनियर द्वारा दी गई मात्रा, विवरण और निर्देशों की अनुसूची के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में, डिजाइन में परिवर्तन किया जाना है और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, वे चाहते हैं कि ठेकेदार इसे पूरा करे तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।
18. इन विशेष शर्तों के साथ, प्रत्येक कार्य से संबंधित संभावित मात्राओं की एक अनुसूची और विशिष्ट विवरण भी संलग्न हैं। संभावित मात्राओं की इस अनुसूची में, बैंक के विवेक पर, किसी भी मद को हटाने, उसमें कटौती करने या उसे जोड़ने के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें शामिल होनी चाहिए, बल्कि कार्य की प्रत्येक मद का मूल्य भी एक अलग कॉलम में दर्ज होना चाहिए; साथ ही, सभी मदों का योग करके पूरी निविदा का कुल मूल्य भी दर्शाया जाना चाहिए।
19. निविदाकर्ता को अपने लिए, अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर, सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने और अनुबंध करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकती है और विनिर्देशों की जांच करनी चाहिए और कार्य की साइट का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय स्थितियों, काम तक पहुंच के साधनों और कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामले से खुद को परिचित करना चाहिए।
20. (क) निविदा में उद्धृत दरों में दोहरे मचान (यदि आवश्यक हो), किसी भी उपकरण और पौधों के लिए किराए पर केंद्रित, सामग्री के लिए छाया, साइट को चिह्नित करना और साफ करना, पानी देना, जैसा कि विनिर्देशों में उल्लेख किया गया है, के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे। उद्धृत दरों को साइट पर मापे जाने वाले तैयार कार्य के लिए माना जाएगा। दरें भी निश्चित होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी। निविदाकारों को अपनी दरों में जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, चुंगी, कार्य अनुबंध पर बिक्री कर और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी, यदि लागू हो, को शामिल करना होगा। जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी या अन्य कर, शुल्क या लेवी चाहे मौजूदा हो या भविष्य, के संबंध में किसी भी दावे पर नियोक्ता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
(b) कार्य इस तरह से किया जाएगा कि बैंक परिसर और उसके कामकाज में कम से कम व्यवधान हो। इस उद्देश्य के लिए बैंक इंजीनियर के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
21. ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ई-निविदा पूरी तरह से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जा सकता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त मदों के मामले में नियोक्ता के ध्यान में लाएगा जो काम के दौरान मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित नहीं है और केवल बैंक के इंजीनियर से लिखित अनुमोदन पर ही इसे पूरा करेगा।

22. ई-निविदा के मूल्यांकन के दौरान, बैंक सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाल सकता है, जो बैंक के अनुमान और उनके द्वारा उद्धृत राशि के बीच की राशि में अंतर के लिए है। बैंक गारंटी जमा करना कार्य प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त बन जाती है। बैंक गारंटी जमा न करने की स्थिति में, बैंक ई-निविदा को स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
23. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान, सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध की शर्तों के खंड 27 (धारा डी) में परिभाषित परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता काम शुरू करने से पहले, एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
24. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य व्यापारियों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्य के लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और नियोक्ता उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता ई-निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।
25. सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की सभी वस्तुओं को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ये मर्दें मात्रा और दरों में शामिल न हों। नियोक्ता ऐसी अतिरिक्त मर्दों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची लिखित रूप में जारी करेगा।
26. सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ और नियोक्ता की संतुष्टि के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े।
27. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से और कानूनी सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकता के अनुपालन में भी किए जाएंगे और किसी भी कारण से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
28. सफल निविदाकर्ता को काम के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था के साथ करना चाहिए।
29. ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा। सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी, यदि वह अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है।
30. आयकर, सेवा कर, व्यापार कर, जीएसटी या अन्य कर लागू होने पर कटौती की जाएगी।
31. ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि नौकरी के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।
32. उद्धृत दर में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत देय ईएसआई, ईपीएफ, बोनस या किसी अन्य मुआवजे आदि के लिए देय राशि शामिल होगी। एजेंसी या ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पंजीकरण/कोड नंबर प्राप्त करे और करारों के निष्पादन से पहले बैंक को प्रस्तुत करे। यह एजेंसी या ठेकेदार द्वारा सख्ती से किया जाना चाहिए। एजेंसी

या ठेकेदार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का भुगतान सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों/ठेका श्रमिकों के संबंध में लागू होता है और बैंक को इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य (यानी भुगतान करते समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पोर्टल से प्राप्त भुगतान रसीद) प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर बैंक इसे सीधे जमा करेगा और एजेंसी या ठेकेदार को देय देय राशि से संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाने के साथ-साथ समायोजित/कटौती करेगा। इस खाते पर एजेंसी या ठेकेदार को उद्धृत दरों से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी या ठेकेदार ईएसआई और ईपीएफ के उद्देश्य सहित सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और ईपीएफ और ईएसआई सहित श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

गवाह: निविदाकर्ता _____ के हस्ताक्षर
पता _____

स्थान:
दिनांक:

खंड ख: सुरक्षा कोड

1. विसंक्रमित ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा। एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
2. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
3. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया जाएगा।
4. किसी भवन के फर्श में या कार्य मंच में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे; न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
5. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को सामग्री के मलबे से इतना अधिक नहीं लगाया जाएगा कि यह असुरक्षित हो जाए।
6. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
7. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
 - i. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
 - ii. श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाएगी जब पेंट स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्ट्रैप किया जाता है। ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले पेंटरों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
 - iii. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, उनके अनुषंगी, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।

सामग्री को उत्पादित करने या कम करने में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ, या चढ़ाने-उतारने के साधन टिकाऊ गुणवत्ताफरक और पर्याप्त शक्तियुक्त होने चाहिए और दोषों से मुक्त हों।

8. यह एक कार्यालयीन परिसर है और बैंक की सुविधा के आधार पर साइट तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

स्थान:

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम और पता

दिनांक:

टेलीफोन/मोबाइल नं.

खंड ग: अग्नि सुरक्षा कोड

- i. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
- ii. केवल आईएसआई चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों और यंत्रों का उपयोग किया जाएगा।
- iii. उपयोग किए गए विद्युत शक्ति केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से रेट किया जाना चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
- v. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
- vi. अनुशंसित अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा। प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
- vii. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
- viii. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 फीट से अधिक ऊंचाई से काम करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- ix. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों की लॉबी के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को ढेर करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- x. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xi. उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य से बंद कर दी जाएगी।
- xii. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक:

पता:

खंड घ: पूर्व संदर्भित शर्तें

1. इन शर्तों के तैयार करने में, विनिर्देश, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध करार, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां उन्हें दिया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो।

- a) "नियोक्ता" इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
- b) कंपनी के मामले में "ठेकेदार" का अर्थ _____ होगा, जो _____ 19__ के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर स्थित है; और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे।
- c) "स्थल" इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों का स्थल जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।
- d) "यह अनुबंध" इसका अर्थ होगा करार की शर्तें, विशेष शर्तें, अन्य शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी हैं और विधिवत हस्ताक्षरित हैं।
- e) "लिखित रूप में सूचना" इसका अर्थ एक लिखित, टाइप किया हुआ, या मुद्रित नोटिस होगा, जिसे प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते, या पंजीकृत कार्यालय पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया हो (जब तक कि इसे व्यक्तिगत रूप से न पहुँचाया गया हो, या इसके प्राप्त होने का कोई अन्य प्रमाण न हो); और यह तब प्राप्त माना जाएगा, जब डाक की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इसे पहुँचा दिया गया है।
- f) "दिवालिया अधिनियम" इसका अर्थ दिवालियापन का कोई भी ऐसा कार्य होगा, जैसा कि प्रेसिडेंसी टाउन दिवालियापन अधिनियम, या प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है।
- g) "शुद्ध मूल्य" यदि ठेकेदार की रकम तय करते समय, ठेकेदार ने ई-निविदा में दी गई चीज़ों की कुल रकम में कोई रकम जोड़ी या घटाई है - चाहे वह प्रतिशत के तौर पर हो या किसी और तरह से - तो उनके निविदा में किसी भी चीज़ की 'शुद्ध कीमत' वह रकम होगी जो ई-निविदा में उस चीज़ की कीमत के तौर पर दिखाई गई असली रकम में, उसी प्रतिशत या उसी अनुपात में रकम जोड़कर या घटाकर निकाली गई हो। लेकिन, यह शर्त हमेशा लागू रहेगी कि ठेकेदार द्वारा जोड़ी या घटाई गई रकम का प्रतिशत या अनुपात तय करते समय, किसी भी 'प्रमुख लागत' वाली चीज़ों और पैसे की प्रविज्ञनल रकमों की कुल रकम को ई-निविदा की कुल रकम में से घटा दिया जाएगा। जब संविदा या हिसाब-किताब के संदर्भ में "शुद्ध दर" या "शुद्ध कीमतें" शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो

उनका मतलब वही दर या कीमतें माना जाएगा जो इस तरह से निकाली गई हों।

h) "कार्य"

इसका मतलब होगा **फ्लैट संख्या के -66, CLOQ, आरबीआई, कानपुर में नए डिस्पेंसरी का निर्माण और मॉड्यूलर किचन की स्थापना।**

2. **अनुबंध का दायरा:** ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूर्ण करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

डिज़ाइन, गुणवत्ता या कार्यों में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य में वृद्धि, कमी या प्रतिस्थापन।

1. डिज़ाइन, गुणवत्ता या कार्यों की विविधताएं या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
2. आरेखण में या मात्रा अनुसूची और/या आरेखण और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
3. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई किसी भी सामग्री को हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
4. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
5. उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।
6. किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।
7. इसके खंड 19 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, इन्हें अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ये विवरण उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिए जाते।

3. अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार प्रत्येक अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस पर हस्ताक्षर करने पर ठेकेदार को उक्त रेखाचित्रों और विशिष्टताओं में से प्रत्येक की एक प्रति और काम की प्रगति के दौरान जारी किए गए अन्य सभी रेखाचित्रों की एक प्रति मुफ्त दी जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक ऐसे रेखाचित्रों की किसी भी अतिरिक्त प्रति का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार रेखाचित्रों की एक प्रति कार्य स्थल पर रखेगा और बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर उसे देखने की अनुमति (पहुंच) होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक इंजीनियर को सभी आरेखण और विनिर्देश लौटाने होंगे।

4. ठेकेदार को अपने खर्च पर आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को आरेखणों में या आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह उसे तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाए।

5. प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट: ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधि के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और आरेखणों या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, वास्तुकार को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 13 के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

6. कार्य की रूपरेखा: ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

7. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए: सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और अनुबंध के अनुसार होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण की व्यवस्था कराएगा।

8. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर उसका प्रतिनिधि: ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य के पूरे चालू रहने के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते रहने तक, कार्यों पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना, ठेकेदार को दिए गए माने जाएँगे।

9. कामगारों की बर्खास्तगी: ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. कार्यों तक पहुँच: नियोक्ता को सभी उचित समयों पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, निर्बाध पहुँच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को सामग्रियों और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी): 'सहायक प्रबंधक (तकनीकी)' शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार, सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों के निरीक्षण के लिए तथा समय और सामग्रियों की जांच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अस्वीकृति का नोटिस देने की शक्ति होगी, और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा, या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा समय-समय पर कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी जांच ठेकेदार को उन कमियों को सुधारने के दायित्व से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी जो कार्यों के किसी चरण में या काम पूरा होने के बाद पाई जा सकती हैं। इस धारा की सीमाओं के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश प्राप्त करेगा।

12. समनुदेशन और उप-पट्टा: अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

13. कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या वृद्धि, या लोप करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अनुबंध के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, वृद्धि या लोप या कोई विचलन नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या लोप का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

14. मात्राओं की अनुसूची: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मदों की चूक इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता: यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में भी संतुष्ट है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

16. कार्यों का मापन :- बैंक इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या ऐसे मापन और गणना करने में बैंक इंजीनियर की सहायता करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए भी आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि भेजेगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो बैंक इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन, कार्यों का सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में वर्णित मापन विधि के अनुसार लिए जाएँगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट मापन के समय आवश्यकतानुसार नोट्स और मापन ले सकता है। नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन ऐसे मापनों में शामिल किए जाएँगे।

17. अतिरिक्त मूल्य: ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित रूप में निर्देशित होने पर, आरेखणों में दर्शाए गए कार्यों, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, हटाना या परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाना या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर उनके द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह धारा 5 के प्रावधानों के तहत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगे, जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य जैसी शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।

(ii) सभी मदों के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

(b) मूल निविदा के शुद्ध मूल्य छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगे, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए मूल्य उप-खंड (ग) के तहत मूल्यांकित किए जाएँगे।

(c) जहाँ अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहाँ चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण अनुबंध कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की मात्रा ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी मद के

लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि वह परिस्थितियों में तर्कसंगत और उचित समझे।

(d) जहां अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार को निविदा या मूल्यांकित अनुसूची या मात्रा में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएंगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएं।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं उल्लिखित है तो खंड 21 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. सामग्री की बुनियादी दर के लिए मूल्य समायोजन:

मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा पर ही किया जाएगा। मूल्य समायोजन बुनियादी दर और वास्तविक बाजार/सामग्री खरीद दर के बीच के अंतर तथा ई-टेंडर में संबंधित आइटम के लिए उद्धृत दर पर 15% लाभ के लिए किया जाएगा। बुनियादी दर का तात्पर्य साइट पर सामग्री की उस लागत से है जिसमें जीएसटी, परिवहन शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद/सीमा शुल्क, वैट, सैट, चुंगी या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू कोई अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी शामिल नहीं हैं।

19. नियोक्ता की संपत्ति मानी जाने वाली अनिर्धारित सामग्री

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए

ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

20. अनुचित कार्य को हटाना: नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय(यों) के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और आरेखणों एवं विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे और ठेकेदार ऐसे आदेश का अपने खर्च पर तुरंत पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जाएंगे।

21. वास्तविक समापन के बाद दोष: कोई भी कमी, सिकुड़न, सेटलमेंट (धंसाव) या अन्य दोष जो इसमें संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित 'दोष देयता अवधि' के भीतर, या यदि कोई अवधि उल्लिखित न हो तो कार्यों के वास्तविक समापन के बारह महीनों के भीतर प्रकट हो, और जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी के कारण उत्पन्न हुआ हो, उसे नियोक्ता के लिखित निर्देश पर और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर सुधारा और ठीक किया जाएगा। चूक होने की स्थिति में, नियोक्ता ऐसे दोषों, सिकुड़न, धंसाव या अन्य कमियों को सुधारने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे (या नियोक्ता द्वारा चुकाए जाएंगे) अथवा नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाणपत्र के आधार पर, ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं। या फिर, ठेकेदार द्वारा सुधार किए जाने के बदले नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से ऐसी राशि काट सकता है, जो नियोक्ता द्वारा इस प्रकार के कार्य को सुधारने की लागत के बराबर निर्धारित की जाएगी। यदि इस अनुबंध की धारा 32 के तहत रोकੀ गई राशि अपर्याप्त होती है, तो नियोक्ता शेष राशि को उससे जुड़े किसी भी खर्च के साथ ठेकेदार से वसूल कर सकता है। यदि इस अनुबंध की धारा 12 और 22 के तहत नामित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या सामग्री की आपूर्ति की गई है, तो ठेकेदार उसे उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कार्य या सामग्री स्वयं ठेकेदार द्वारा की गई या आपूर्ति की गई हो और इस धारा तथा धारा 2 के प्रावधानों के अधीन हो। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर

हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पास करने के बावजूद, ठेकेदार इस धारा के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी बना रहेगा।

22. वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि: जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तिथि से शुरू होगी।

23. नामित उप-ठेकेदार: सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठेकेदार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध प्रदान नहीं करेगा।

(क) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेके के संबंध में उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जिसके अधीन ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेकेदारों, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी लागू कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान नियोक्ता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ठेकेदार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाण पत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर उसका भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी अनुबंध का सृजन नहीं होगा।

24. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति: नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

25. व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:

a) ठेकेदार व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को होने वाली सभी चोटों या नुकसान के लिए और संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जो ठेकेदार, किसी उप-ठेकेदार, किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की चूक या लापरवाही के कारण हो सकता है। इस धारा के तहत दायित्व में मुख्य रूप से संरचनाओं को होने वाला कोई भी नुकसान शामिल होगा, चाहे वह काम के बिल्कुल नजदीक हो या कहीं और। इसके साथ ही सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों के नुकसान के साथ-साथ इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाली इमारत और अन्य संरचनाओं एवं कार्यों को होने वाले नुकसान भी इसमें शामिल होंगे। ठेकेदार बारिश, हवा, पाले या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक को होने वाले ऐसे सभी नुकसानों और खर्चों से सुरक्षित रखेगा। वह कानून के तहत या अन्यथा दावों, मुआवजे या नुकसान के एवज में किए जाने वाले किसी भी दावे से बैंक को नुकसान-रहित रखेगा। ठेकेदार अपने खर्च पर, काम शुरू करने से पहले, बैंक द्वारा स्वीकृत बीमा कंपनी से एक 'ऑल रिस्क पॉलिसी' लेगा। यह पॉलिसी बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर (जिसमें बैंक का नाम पहले होगा) होगी, जिसमें भूकंप का जोखिम भी शामिल होगा। यह पॉलिसी काम के वास्तविक पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी होने तक प्रभावी रहेगी और इसे बैंक के पास जमा करना होगा।

b) ठेकेदार इस धारा में उल्लिखित हर तरह के नुकसान को ठीक करेगा ताकि पूरे काम की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन हो। वह संपत्ति या तीसरे पक्ष के नुकसान के सभी दावों को पूरी तरह से संतुष्ट या चुकता करेगा।

c) ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों से भी सुरक्षित और क्षतिपूर्त रखेगा जो काम के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं। वह अपने खर्च पर, अनुबंध

के वास्तविक पूरा होने तक, बैंक द्वारा स्वीकृत बीमा कंपनी से दोनों के संयुक्त नाम पर (बैंक का नाम पहले) एक बीमा पॉलिसी लेगा और काम शुरू होने से पहले इसे बैंक में जमा करेगा।

d) पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹2 लाख और संपत्ति के नुकसान के लिए किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए ₹5 लाख होगी। ठेकेदार इस अनुबंध की अवधि के दौरान या कॉमन लॉ के तहत, ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में लागू कामगार मुआवजा अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत बैंक पर किए जाने वाले सभी दावों से बैंक को सुरक्षित रखेगा। वह अपने खर्च पर, अनुबंध पूरा होने तक बैंक द्वारा स्वीकृत बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा और समय-समय पर इसे बैंक के पास जमा करेगा।

e) यदि ठेकेदार ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार बीमा कराने में विफल रहता है, तो बैंक स्वयं ऐसा बीमा करा सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि को ठेकेदार के देय या भविष्य में देय होने वाले पैसों से काट सकता है।

f) ठेकेदार किसी भी ऐसे दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कवर नहीं होता है। इसके अलावा, अनुबंध के दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण किसी भी व्यक्ति, पशु या अन्य किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा, चाहे नुकसान का कारण कुछ भी हो।

g) ठेकेदार बैंक को उन सभी लागतों, शुल्कों या खर्चों से भी सुरक्षित रखेगा जो कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या अदालती कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं, और इससे होने वाले किसी भी मुआवजे या हर्जाने के भुगतान के लिए भी जिम्मेदार होगा।

h) ठेकेदार की ऐसी चूक के खिलाफ बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से नुकसान, मुआवजे की लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की कटौती करने का हकदार होगा, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए हैं और इस धारा के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं।

i) इस धारा के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा किसी दावे का निपटारा होने पर, ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए पूरी तत्परता से काम शुरू करेगा। इस स्थिति में, बीमा कंपनी से प्राप्त सारा पैसा ठेकेदार को दिया जाएगा, और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए हुए अतिरिक्त खर्च के लिए बैंक से किसी अन्य भुगतान का हकदार नहीं होगा।

j) नुकसान के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में, ठेकेदार काम पूरा करने के लिए उतने समय के विस्तार का हकदार होगा जितना बैंक उचित समझे। हालांकि, बीमा कंपनी द्वारा दावे के निपटारे में दी गई अंतिम राशि में यदि कोई कमी रहती है, तो ठेकेदार बैंक से उसकी प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

k) इस धारा के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों से भी उनके संबंधित कार्यों के लिए समान बीमा पॉलिसियां कराएगा और बैंक के समक्ष पेश करेगा। ठेकेदार किसी भी नामित उप-ठेकेदार को तब तक साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां जमा न कर दी जाएं। यदि उप-ठेकेदार साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी बीमा पॉलिसी लेने में विफल रहता है, तो उस उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

l) ठेकेदार काम शुरू करने से पहले, अपने खर्च पर, सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर बीमा कराएगा। यह बीमा उपकरण/सामग्री के निर्माता के कारखाने से निकलने के समय से लेकर बैंक को उक्त प्रणाली सौंपने तक प्रभावी रहेगा। इसमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होने चाहिए:

- ठेकेदार की 'ऑल रिस्क पॉलिसी'
- साइट पर काम करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए 'कामगार मुआवजा पॉलिसी'
- कुल ₹10.00 लाख की 'तीसरे पक्ष की देयता पॉलिसी', जिसमें प्रति दुर्घटना अधिकतम सीमा ₹2.50 लाख होगी।

26. कार्य प्रारंभ करने और पूरा करने की तिथि: ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य प्रारंभ करने की तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद तुरंत कार्य शुरू कर देगा और नियमित रूप से कार्य को आगे बढ़ाएगा और उसे पूरा करेगा (ऐसे रंग-रोगन या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे बैंक विलंबित करना चाहे) या परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य पूरा करने की तिथि" से पहले, फिर भी इसके बाद दिए गए समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

27. कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति: यदि ठेकेदार परिशिष्ट में उल्लिखित तिथि तक या यहाँ दी गई धारा 27 के तहत बढ़ाई गई किसी भी अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार उस अवधि के लिए, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा, परिशिष्ट में "परिसमाप्त हर्जाने" के रूप में नामित राशि का भुगतान नियोक्ता को करेगा; और बैंक ऐसे हर्जाने की राशि को ठेकेदार को देय किसी भी पैसे से काट सकता है। परिसमाप्त हर्जाने की वसूली की दर प्रति सप्ताह अनुमानित लागत का 0.25% होगी, जो कि स्वीकृत ई-टेंडर राशि के अधिकतम 10% के अधीन होगी।

28. विलंब और समय का विस्तार: यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी होती है (क) किसी बड़ी अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या ग) ठेकेदार की अपनी चूक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या ट्रेडमैन के कार्यों या देरी के कारण और मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (ङ) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी बिल्डिंग ट्रेड को प्रभावित करना या (छ) ठेकेदार को बैंक से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से, जिसे बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (झ) घटना में, कार्य का मूल्य और कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार यथाशीघ्र बैंक को लिखित सूचना देकर किया जाएगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार विलम्ब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से अपेक्षित हो।

29. ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता: यदि ठेकेदार, नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद, जिसमें 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता होती है, ऐसे आगे के रेखाचित्रों और/या बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो भी उसके प्रभाव को देने के लिए आवश्यक हो, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

30. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति: यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वैच्छिक रूप से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा या न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन होगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, उसे ऐसा करने के लिए कहने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर वास्तुकार की उचित संतुष्टि को दर्शाने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है और इसके लिए, यदि वास्तुकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होगा।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, प्रथम या निगमित कंपनी हो) ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति की कुर्की के निष्पादन या अन्य न्यायिक प्रक्रिया को सहन करता है।

या इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क होने देता है।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को उप-पट्टे पर सौंप देता है।

या इस अनुबंध या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारित या भारित नहीं करता है।

(i) अनुबंध को त्याग दिया है, या

(ii) कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के अधीन बैंक से कार्य आरंभ करने का नोटिस प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों के लिए बिना किसी वैध कारण के कार्य की प्रगति को स्थगित कर दिया है, या

(iii) कार्य को उचित तत्परता से आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या

(iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों तक साइट से सामग्री हटाने या कार्य को हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अधीन बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदित और अस्वीकार कर दिया गया था' या

(v) ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिनों के बाद भी ठेकेदार द्वारा अनुबंध द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले किसी भी कार्य, मामले या चीज़ का पालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या विफलता की है।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी पूर्व अधित्याग के होते हुए भी, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के पश्चात, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, जो संपूर्ण रूप से उसी प्रकार लागू रहेगा मानो अनुबंध का निर्धारण न किया गया हो, और ऐसा तब भी होगा जब बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। और इसके अतिरिक्त, नियोक्ता अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा कार्यों में प्रवेश कर सकता है और परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य विद्युत उपकरणों और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या उन्हें अपने सेवकों और कर्मकारों के माध्यम से कार्य को चलाने और पूरा करने में नियोजित कर सकता है या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए नियोजित कर सकता है,

और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने और परिष्करण करने या सामग्रियों और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, बात या बात नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद सुविधानुसार बैंक ठेकेदार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसे प्राप्त होने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। नियोक्ता इसके बाद अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री में से कितनी सामग्री नियोक्ता के कब्जे में है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या हानि हुई है और राशि कितनी है। यदि कोई हो, तो ठेकेदार को देय और वह राशि जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा, और बैंक का प्रमाणपत्र पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति: यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम रोक दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस देकर अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी संयंत्र या सामग्री या उद्देश्य या अनुबंध के लिए आपूर्ति या खरीद या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे होने वाली किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा अथवा जहां यह लागू न हो, वहां मूल्यांकन धारा 17 के अनुसार किया जाएगा।

32. प्रमाणपत्र और भुगतान: ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत किशतों द्वारा निष्पादित कार्यों के मद में भुगतान किया जाएगा कि परिशिष्ट (अपेंडिक्स) में 'अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का मूल्य' के रूप में नामित अनुमानित

मूल्य का कार्य इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया है, हालांकि, यह परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण राशि" (टोटल रिटेंशन मनी) के रूप में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत के प्रतिधारण (रोक कर रखने) के अधीन होगा, जिसके समय के बाद किश्तें बाद में इस प्रकार निष्पादित और भवन में स्थापित कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। और जब कार्य आभासी रूप से पूरे हो जाएंगे, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार परिशिष्ट में "आभासी समापन के बाद की किश्त" के रूप में नामित धन राशि का भुगतान किया जाएगा, जो उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा होगी। और ठेकेदार आभासी समापन की तारीख से इसके परिशिष्ट में 'दोष दायित्व अवधि' (डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड) के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर, या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरे हो जाएंगे और इसके वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार सभी दोषों को ठीक कर दिया जाएगा, जो भी बाद में हो, अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा; बशर्ते हमेशा कि उनके पूरा होने पर या उसके बाद ठेकेदार को क्लॉज 2 और 20 के तहत उसके दायित्व से राहत नहीं मिलेगी और न ही कार्यों या सामग्रियों से संबंधित या प्रमाणपत्र में निपटाए गए किसी भी मामले से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या कपटपूर्ण तरीके से छिपाने के मामलों में और कार्यों या सामग्रियों में उन सभी दोषों और कमियों के मामले में जिन्हें एक उचित जांच प्रकट नहीं कर सकती थी, ठेकेदार को उसकी अक्षमता से राहत मिलेगी।

नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके किसी भी भाग को उसकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा हो।

33. विलंबित भुगतान: नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में दिए गए 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर उस तारीख से, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था, भुगतान होने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में उल्लिखित दर से ब्याज लगेगा।

34. इसके खंड 2(क), 2(ख), 4, 7, 12, 19 & 29 (जिन्हें इसमें अपवादित मामले कहा गया है) के अंतर्गत आने वाले सभी या किसी भी मामले से संबंधित निर्णय, राय, निर्देश प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होगा तथा संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा और अपील के अधीन नहीं होगा। कोई भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश, सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) इसी प्रकार इसके खंड 35 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा।

35. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा: अनुबंध से या कार्यो के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्यो की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक को संदर्भित और उसके द्वारा तय किए जाएंगे, जो अपना निर्णय लिखित में देगा। ऐसा निर्णय एक अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। अपवादित मामलों में से किसी के भी संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले पर जिससे बैंक द्वारा ऊपर के अनुसार निर्णय लिया गया है, अपवादित मामलों में से किसी को छोड़कर, असंतुष्ट है, तो ठेकेदार ऐसा निर्णय का नोटिस प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरी पार्टी को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें यह आवश्यकता होगी कि विवादित मामलों पर मध्यस्थताकी जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनके संबंध में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति न बन पाने की स्थिति में, दोनों पक्ष अपनी-अपनी ओर से मध्यस्थ के रूप में एक-एक व्यक्ति को नामित करेंगे। पक्षों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, के पास पिछले क्लॉज में संदर्भित अपवादित मामलों को छोड़कर, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, और विवाद के उन सभी मामलों को निर्धारित करने की शक्ति होगी जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनका नोटिस पूर्वोक्त के अनुसार दिया गया होगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए ऐसे आगे बढ़ाए गए समय के भीतर) अपना अधिनिर्णय देंगे। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्ष आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षों द्वारा समझौते या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थगण जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते या समझौते की शर्तों के अनुसार एक अधिनिर्णय देंगे।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, क्रमशः संदर्भ और अधिनिर्णय के आनुषंगिक लागत पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, के विवेक पर होगा, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पक्ष और पक्ष के बीच इसे टैक्स (आकलित) करने का निर्देश दे सकते हैं, और यह निर्देश देंगे कि इसे किसके

द्वारा और किसे और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा। इस प्रस्तुति को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, (यथा संशोधित) या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, का अधिनिर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार मध्यस्थता के लिए संदर्भित किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्यों के निष्पादन में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी उचित तत्परता के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, का कोई भी अधिनिर्णय ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज के तहत मध्यस्थता, अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व-शर्त) होगी।

36. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ता को कार्य और ठेकेदार के अंतिम बिल, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल हैं, की तकनीकी जाँच कराने का अधिकार होगा, जो अंतिम बिल के भुगतान के समय प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इस जाँच के परिणामस्वरूप, अन्यथा, कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि की वसूली करना वैध होगा।

37. नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे को कवर करने का अधिकार

यदि किसी भी कारण से नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करने का हकदार होगा, वह भी उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या उसके द्वारा देय किसी राशि से कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

38. कार्यो का परित्याग

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्य या उसके किसी भाग को पूरा करने की मांग नहीं करता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित में सूचना देगा, जिसका किसी भी लाभ या फायदे के लिए मुआवजे या अन्यथा किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे पूरे कार्य के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

39. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिटों या लाइसेंसों के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को मितव्ययतापूर्वक और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा उसके संबंध में भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, पूर्वोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता के प्रति सभी धनराशि, लाभ या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुए या सामान्य क्रम में हुए होते।

40. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. ईपीएफ और ईएसआई : ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह ईपीएफओ के पास पंजीकृत है और उसे ईपीएफओ तथा ईएसआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान:

खंड ड: विशेष शर्तें

1. कामगारों को परिसर के भीतर ठहरने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. काम या कामगारों के लिए आवश्यक पानी परिसर में उपलब्ध स्रोत से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है। पानी को आवश्यक स्थान तक ले जाने के लिए ठेकेदार को अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी।
3. काम के लिए आवश्यक बिजली साइट पर उपलब्ध आपूर्ति से मुफ्त ली जा सकती है। बिजली की आपूर्ति को आवश्यक स्थान तक ले जाने के लिए ठेकेदार को अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी।
4. स्थानीय निकायों से यदि किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता होगी, तो वह ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर प्राप्त की जाएगी।
5. भले ही फिनिशिंग के कामों में पेंट/पॉलिश के कोट की संख्या का उल्लेख किया गया हो, फिर भी ठेकेदार यह ध्यान रखे कि काम सौंपते समय पूरा क्षेत्र बेहतरीन फिनिशिंग में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पेंटिंग/पॉलिशिंग आदि का अतिरिक्त कोट भी करना होगा।
6. इच्छुक निविदादाता ई-टेंडर के चित्रों, विशिष्टताओं आदि के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, बैंक के किसी भी कार्य दिवस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
7. इस काम से उत्पन्न होने वाले मलबे/धूल या किसी भी कचरे को आवश्यकतानुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार नियमित रूप से साफ किया जाएगा और पूरे क्षेत्र को साफ-सुथरा रखा जाएगा।
8. जहाँ कहीं भी सामग्री की मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को सत्यापन के लिए बैंक को पूरा भुगतान किया गया बिल प्रस्तुत करना होगा। सामग्री खरीदने से पहले खरीद दर को बैंक से स्वीकृत कराया जाएगा। कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर ही किया जाएगा। लागत के अंतर पर 15% लाभ माना जाएगा। मूल कीमतें एक्स-गोदाम हैं और इनमें जीएसटी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और स्थानीय प्राधिकरण / सरकार द्वारा लगाए गए अन्य सभी शुल्क शामिल नहीं हैं। उद्धृत दर में साइट तक परिवहन, भंडारण और रखरखाव आदि शामिल होना चाहिए।
9. बैंक के पास सामग्री, कारीगरी, विवरण और फिनिशिंग के चयन पर जोर देने का अधिकार सुरक्षित है, जिसे वे इच्छित उपयोग के लिए उचित और उपयुक्त समझते हैं। ठेकेदार इस आधार पर अतिरिक्त भुगतान का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।
10. बैंक ठेकेदार से खरीद/निर्माण से पहले सभी सामग्रियों, सामानों, फिनिशिंग के नमूने प्रस्तुत करने की मांग करेगा। इन निर्देशों का पालन न करने पर काम को अस्वीकार किया जा सकता है।
11. काम के लिए सामग्रियों के नमूनों को बैंक के इंजीनियर द्वारा स्वीकृत कराया जाएगा।
12. निविदादाता को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने हिस्से का काम इमारत के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुँचाए बिना और मौजूदा निवासियों को परेशान किए बिना पूरा करे। इस प्रकार होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई ई-टेंडर के जोखिम और लागत पर की जाएगी।
13. निविदादाता को ध्यान देना चाहिए कि ई-टेंडर के चित्र और अनुसूची में प्रत्येक आइटम का विवरण देने वाले अन्य दस्तावेज केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और उन्हें पूरी तरह से विस्तृत और अंतिम फिनिश नहीं माना जा सकता है। चूंकि यह इंटीरियर वर्क्स के लिए ई-टेंडर है, जिसमें उच्च मानक की अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्रियों के उपयोग सहित बेहतरीन कारीगरी और फिनिश की आवश्यकता होती है, इसलिए

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ई-टेंडर चित्रों और विशिष्टताओं के उद्देश्य को समझे और फर्नीचर के इच्छित उपयोग के अनुरूप उच्च मानकों का उत्पाद देने के लिए उचित सामग्री, कारीगरी, फिनिश और एक्सेसरीज़ प्रदान करे। इस शर्त को समझने में विफल रहने पर बाद में ठेकेदार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के प्रकार, कारीगरी, फिनिश आदि के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। अपने ई-टेंडर में ऐसी सामग्री, कारीगरी और फिनिश का प्रावधान न करने का ठेकेदार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

14. सफल ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी सामग्रियों की रक्षा करें और उन्हें संतोषजनक ढंग से अच्छी स्थिति में बैंक को सौंपें। सुपुर्दगी के समय यदि कोई नुकसान, खरोच, डेंट या ऐसे दोष पाए जाते हैं, तो उन्हें ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बैंक की संतुष्टि के अनुसार निर्देशित तरीके से ठीक कराया जाएगा।

15. सफल निविदादाताओं को उद्धृत मूल्य में सभी संबद्ध सिविल कार्यों को शामिल करना होगा जैसे कि दीवार काटना, छेद करना आदि, और ग्राउटिंग आदि के बाद सतह को ठीक करना।

16. हर समय साफ-सुथरी हाउसकीपिंग रखना सफल निविदादाता की जिम्मेदारी है, जो अपने खर्च पर साइट से मलबे, अपशिष्ट सामग्री आदि को हटाने को भी सुनिश्चित करेगा और इसे नियमित आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा।

17. सफल ठेकेदार अपनी सभी सामग्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा और आवासीय परिसर में अपने काम के हिस्से सहित हर समय आग से बचाव के कदम सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

18. ठेकेदारों को बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा।

19. यदि समय पर काम पूरा करने के लिए आवश्यक हो, तो काम अतिरिक्त घंटों में किया जाएगा और इस संबंध में ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक

अनुलग्नक-1 -परिशिष्ट यहां संदर्भित किया गया है

क्रमांक	विवरण	नियम और शर्तें
i.	कार्य की अनुमानित लागत	₹7,59,034/- (रुपये सात लाख उनसठ हजार चौतीस मात्र)
ii.	NEFT के माध्यम से EMD	शून्य - (MSTC पोर्टल पर विवरण अपलोड करें)
iii.	परफॉर्मेंस बैंक गारंटी	लागू नहीं
iv.	ई-टेंडर दस्तावेज डाउनलोड लिंक	mstcecommerce.com
v.	प्री-बिड बैठक की तिथि और स्थान (ऑफलाइन)	स्थान: संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, मॉल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
vi.	पूर्ण बोली (Bid) जमा करने की अंतिम तिथि	22 जून, 2026, दोपहर 3:00 बजे तक
vii.	भाग-I (तकनीकी-व्यावसायिक बोली) खोलने का समय	22 जून, 2026, दोपहर 3:00 बजे से
viii.	भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने का समय	22 जून, 2026, दोपहर 3:30 बजे से
ix.	कार्य शुरू होने की तिथि	कार्य आदेश में निर्दिष्ट किए गए अनुसार
x.	भुगतान की शर्त	निर्दिष्ट किए गए अनुसार
xi.	ई-टेंडर की वैधता	तकनीकी-व्यावसायिक बोली खुलने की तारीख से 90 दिन तक
xii.	कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार	कानपुर
xiii.	दोष दायित्व अवधि	वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 1 वर्ष
xiv.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 3 महीने
xv.	कार्य प्रारंभ होने का दिन	कार्य आदेश जारी होने के दिन से या कार्य स्थल (site) सौंपने के दिन से, जो भी पहले हो
xvi.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य आदेश की तारीख से 60 दिन
xvii.	संपर्क व्यक्ति	1. श्री भानु प्रताप सिंह (AGM) फोन: 0512-2304119 ईमेल: bhanupratapsingh@rbi.org.in 2. श्री पीयूष यादव (सहायक प्रबंधक - सिविल) फोन: 0512-2331111 ईमेल: piyushyadav@rbi.org.in
xviii.	परिसमाप्त हर्जाना	प्रति सप्ताह अनुमानित लागत का 0.25%, जो स्वीकृत ई-टेंडर राशि के अधिकतम 10% के अधीन होगा
xix.	प्रतिधारण प्रतिशत / रोकी जाने वाली राशि (R.M.)	प्रत्येक बिल से 5%
xx.	सुरक्षा जमा राशि की वापसी	दोष दायित्व अवधि (1 वर्ष) की सफल समाप्ति के बाद 100% प्रतिधारण राशि वापस दी जाएगी

xxi.	अंतरिम प्रमाण पत्र स्वीकार करने की अवधि	1 महीना
xxii.	अंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार करने की अवधि	3 महीने
xxiii.	विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज	3% प्रति वर्ष

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक

अनुलग्नक-II: ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई की ई-खरीद गतिविधि है। ई-खरीद सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली

केवल www.mstcecommerce.com/eproc/ पर ऑनलाइन सबमिट किया जाना चाहिए (वर्शन 3)

1) विक्रेताओं को खुद को www.mstcecommerce.com/eproc/ पर

ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बना कर सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं

विक्रेताओं को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा

ई-मेल जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी के मामले में

स्पष्टीकरण, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

अ) संपर्क व्यक्ति (आरबीआई कानपुर):

श्री भानु प्रताप सिंह (समग्र)

फोन नंबर- 0512- 2304119 ईमेल: (bhanupratapsingh@rbi.org.in)

श्री पीयूष यादव (सहायक प्रबंधक, तक-सिविल)

फोन नंबर- 0512-2331111 ईमेल: (piyushyadav@rbi.org.in)

आ) विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

एचओ केंद्रीय सहायता डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फोन नंबर: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

उपलब्धता


सभी तकनीकी मुद्दों ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

इ) संपर्क व्यक्ति (MSTC)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएँ और तदनुसार अपने क्षेत्रीय कार्यालय को अपडेट करें।

बी) सिस्टम आवश्यकता:

विवरण के लिए, विक्रेता डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का उल्लेख कर सकता है <https://www.mstcecommerce.com/eproc/>



2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

विक्रेताओं को अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के लिए "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा/"इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के

	<p>पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता बिना किसी बदलाव के चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।</p> <p>लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।</p> <p>एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।</p> <p>नोट:</p> <p>बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।</p>
3.	<p>अपलोड किए गए ई-निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी ई-निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
4.	<p>एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।</p>
5.	<p>ई-निविदा में बोली:</p> <p>नोट: विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माय मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।</p> <p>एक बार पुस्तकालय में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई-निविदा के खिलाफ दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदासे संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें।</p> <p>अ) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेन-देन शुल्क अलग से जमा करने की आवश्यकता है। लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा।</p>

आ) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन **बोलीदाताओं** ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> → **ई-प्रोक्योरमेंट** → **न्यू कॉमन पोर्टल** → **बिड फ्लोर मैनेजर** → **लाइव इवेंट** → **लाइव इवेंट का चयन** → **ट्रांजेक्शन शुल्क** → **सामान्य शर्तें** → **दस्तावेज़ संलग्न करें** → **मूल्य बोली**।

कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के खिलाफ अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। क्या यह सफल/लंबित है इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

इ) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

ई) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

उ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ऊ) ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ऋ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार बुलाया जाएगा।**

ऌ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ँ) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।

ऐ) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदामें बोली जमा करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ए) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

अनुलग्नक-III: निविदाकर्ता के बैंकों का विवरण

हमारे बैंकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	वह अवधि जिससे फर्म रही है बैंक के साथ बैंकिंग	

कृपया रद्द किए गए चेक की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें।

अनुलग्नक-IV: ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण

ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण (यदि ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है):

क्रम संख्या	<u>आवश्यकताएँ</u>	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	बैंक का नाम	
3	खाता संख्या	
4	आईएफएससी	
5	यूटीआर नंबर (16 अंकों की संख्या)	
6	भुगतान की तिथि	

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: _____

स्थान: _____

संपर्क नंबर: _____

अनुलग्नक- V: अनुमोदित सामग्रियों की सूची

1. वाटर प्रूफिंग केमिकल्स	Dr.Fixit, Sika, Fosroc, MC-Bouchemie, BASF या किसी अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
2. ईडब्ल्यूसी पैन, वॉश बेसिन और अन्य चिनवेयर फिटिंग	हिंडवेयर, पैरीवेयर, जैकार, रोका, सेरा, आरएके, कोहलर या कोई अन्य समकक्ष स्वीकृत मेक
3. पीवीसी निम्न स्तर की फ्लशिंग सिस्टर्न	हिंडवेयर, पैरीवेयर, जैकार, रोका, सेरा, आरएके, कोहलर, टोटो या कोई अन्य समकक्ष स्वीकृत मेक
4. सिरैमिक टाइलें	जॉनसन, आरएके, कजारिया या कोई अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
5. विट्रिफाइड टाइल्स	जॉनसन, आरएके, कजारिया या कोई अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
6. जीआई पाइप और फिटिंग	टाटा या कोई अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
7. रेत कच्चा लोहा पाइप, जाल	नेको या कोई अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
8. सीपी फिटिंग और सहायक उपकरण	जैकार, हिंडवेयर, कोहलर, टोटो, प्लंबर, जेम, मार्क, या कोई अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
9. आरसीसी पाइप/मैनहोल	आईएसआई को मंजूरी दी
10. स्टेनलेस स्टील सिंक	निराली, हीरा, अनुपम, जयना, नीलकंठ या कोई अन्य समकक्ष स्वीकृत मेक
11. सुदृढीकरण/एमएस अनुभाग	टाटा, जिंदल, सेल या कोई अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
12. सीमेंट	लाफार्ज, एसीसी, अल्ट्राटेक या कोई अन्य अनुमोदित समकक्ष स्वीकृत मेक
13. जिप्सम बोर्ड झूठी छत प्रणाली	मैसर्स इंडिया जिप्सम लिमिटेड, मैसर्स सेंट गोबेन या कोई अन्य अनुमोदित समकक्ष
14. पीवीसी और सीपीवीसी पाइप	सुप्रीम, प्रिंस, एस्ट्रल या कोई अन्य स्वीकृत समकक्ष
15. यूपीवीसी विंडो	फेनेस्टा, प्रमुखता, सिंटेक्स, वेका या किसी अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
16. यूपीवीसी विंडो हार्डवेयर	Mccooy, Pego, Insta या किसी अन्य समकक्ष अनुमोदित बनाने
17. ग्लास	मोदी, संत गोबेन या किसी अन्य समकक्ष को मंजूरी दी
18. प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड,	सेंचुरी, ग्रीन प्लाई, आर्किड या कोई अन्य समकक्ष बनाते हैं
19. दरवाजे हार्डवेयर फिटिंग	गोदरेज, हेटिच, ओजोन, हैरिसन, रैमसन या किसी अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
20. हल्के स्टील अनुभाग	टाटा, जिंदल, सेल या किसी अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
21. समुद्री प्लाई 19 मिमी	आर्किड, हरा, सदी या किसी अन्य समकक्ष अनुमोदित मेक
22. टुकड़े टुकड़े में	ग्रीन लैम, मेरिनो, सेंचुरी, आर्किड या किसी अन्य समकक्ष स्वीकृत मेक
23. प्रोफाइल शटर, टिका, हैंडल, जी-प्रोफाइल हैंडल और अन्य हार्डवेयर	एबको, चिकना, हेटिच, डोरमा, हैफेल या गोदरेज या कोई अन्य अनुमोदित समकक्ष

कंपनी का नाम	प्लास्टिक इमल्शन पेंट	सिंथेटिक एनामल पेंट	आंतरिक प्राइमर	लकड़ी का प्राइमर	स्टील प्राइमर	ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट सिलिकॉन एडिटिव्स (बाहरी)	बाहरी प्राइमर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
1. शालीमार पेंट लिमिटेड		"सुपरलैक" हाई-ग्लॉस इनेमल		लकड़ी की सतहों के लिए शालीमार प्राइमर	शालीमार सिंथेटिक रेड लीड प्राइमर	_____	-----
2. गुडलस नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड.		नेरोलैक सिंथेटिक तामचीनी पेंट		लकड़ी का प्राइमर	पाम ट्री रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर	नेरोलैक बाहरी ऐक्रेलिक पेंट (सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ)	प्राइमोलाइट बाहरी प्राइमर
3. जेनसन एंड निकोलसन पेंट्स इंडिया लिमिटेड	_____	"ब्रोलैक" हाई-पॉलीयूरेथेन तामचीनी		लकड़ी का प्राइमर	स्टील प्राइमर	_____	----- -
4. एशियन पेंट्स	एपकोलाइट सुप्रीम	एपकोलाइट सुप्रीमा प्रीमियम ग्लॉस इनेमल	सर्वोच्च प्रथम	आंतरिक दीवार प्राइमर-एसटी	टूकेयर मेटल प्राइमर	एपेक्स सुप्रीमा	बचत
5. बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड.	कुल देखभाल रंगोली	लक्सोल हाई ग्लास	प्लेटिनम वालमास्टा EXT-INT प्राइमर	बीपी सफेद प्राइमर एसटी	लाल ऑक्साइड प्राइमर	प्लेटिना वेदरकोट चमक	प्लेटिनम वालमास्टा EXT-INT प्राइमर
6. स्पेशल पेंट्स लिमिटेड	_____	सिगनारिन सुपरफ्लो		स्पेका लकड़ी का प्राइमर	स्पेका रेड ऑक्साइड	_____	-----

(पहले सिग्मा पेंट्स)		सिंथेटिक तामचीनी			मेटल प्राइमर		
7. आईसीआई इंडिया लिमिटेड		डुलक्स ग्लॉस फिनिश		आईसीआई लकड़ी का प्राइमर	आईसीआई रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर	डुलक्स वेदर शिल्ड मैक्स	बाहरी के लिए आईसीआई प्राइमर
8. बिड़ला ओपस पेंट	प्राइम I10	एन 53	प्राइम I10	कैलिस्टा चमक	प्राइम N10	प्राइम E50	प्राइम E10

स्थान:

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर

उनकी कंपनी की मुहर के साथ

माप के विनिर्देश और मोड

सामग्री

1. गुणवत्ता

कार्यों में शामिल करने के लिए सभी सामग्री अपने संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता की होगी जैसा कि यहां उल्लिखित कार्यों की प्रासंगिक वस्तुओं के तहत निर्दिष्ट किया गया है और नियोक्ता / इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाएगा और इसके बाद निर्धारित परीक्षणों का सख्ती से पालन करेगा या, जहां परीक्षण सूची में निर्धारित नहीं हैं विनिर्देश, बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं के साथ होगा।

2. निरीक्षण

कार्यों में शामिल होने से पहले सभी सामग्रियों को साइट या कारखाने में निरीक्षण के अधीन किया जाएगा जैसा कि अनुबंध की शर्तों में और विनिर्देशों में कहीं और प्रदान किया गया है। कार्यों में किसी भी सामग्री का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।

3. नमूने

कार्यों में उपयोग या शामिल किए जाने वाले और ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सभी सामग्रियों के नमूने बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी समय बुलाए जा सकते हैं।

4. स्वतंत्र परीक्षण

ठेकेदार को निर्माता से सामग्री परीक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

कार्य का दायरा बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए तैयार किए गए विनिर्देशों (मात्रा की अनुसूची विस्तृत रूप से) के अनुसार सीएलओक्यू, आरबीआई, कानपुर में नई डिस्पेंसरी का निर्माण और फ्लैट नंबर के-66 में मॉड्यूलर किचन का प्रतिष्ठापन में विस्तृत रूप से कवर किया गया है। विनिर्देश अनुबंध का हिस्सा होंगे और इन्हें विनिर्देशों के पूरक माना जाएगा और विशेष रूप से यहां प्रदान की गई सीमा को छोड़कर इसके अपमान में नहीं माना जाएगा।

सामग्री प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम अनुमोदित गुणवत्ता की होगी और वे संबंधित आईएस विनिर्देशों (बीआईएस द्वारा कवर की गई सामग्रियों के लिए) का अनुपालन करेंगे। आदेश देने से पहले सभी सामग्रियों के नमूने स्वीकृत किए जाएंगे और अनुमोदित नमूना बैंक में जमा किया जाएगा।

सामग्री

1. मीट्रिक आकार में सामग्री की अनुपलब्धता के मामले में, एफपीएस इकाइयों में निकटतम आकार इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए न तो अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और न ही कोई छूट वसूल की जाएगी।
2. ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, यदि नियोक्ता द्वारा मांग की जाती है, तो निर्माता या सामग्री आपूर्तिकर्ता से कि कार्य उनकी सामग्री का उपयोग करके और उनकी सिफारिशों के अनुसार किया गया है।
3. किसी भी सामग्री के परीक्षण की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में की जाएगी और मूल रूप से परीक्षण के परिणाम बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। इन परीक्षणों के लिए रसीदों/चालान के उत्पादन पर बैंक द्वारा परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
4. नियोक्ता/किसी अन्य विशेषज्ञ फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को ठीक से संग्रहीत किया जाएगा और ठेकेदार इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा जब तक कि उन्हें कार्यों और काम पूरा करने की आवश्यकता न हो।
5. जब तक कि अन्यथा चित्र पर नहीं दिखाया गया हो या मात्रा या विशेष शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित न हो। सामग्री की गुणवत्ता। कारीगरी आयाम आदि नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
6. सामग्री पर फील्ड परीक्षण करने के लिए सभी उपकरण और सुविधाएं ठेकेदारों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान की जाएंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

(मात्रा का अमूल्य बिल)

सीएलओक्यू आरबीआई, कानपुर में नई डिस्पेंसरी का निर्माण और फ्लैट नंबर के-66 में मॉड्यूलर
किचन का प्रतिष्ठापन

के लिए

ई-निविदा

आरबीआई/कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/3/26-27/ईटी/96

को जारी: _____

जमा करने की अंतिम तिथि: 22 जून, 2026, अपराह्न 3:00 बजे तक।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

मात्राओं की अनुसूची

सीएलओक्यू, आरबीआई, कानपुर में नई डिस्पेंसरी का निर्माण और फ्लैट नंबर के-66 में मॉड्यूलर किचन का प्रतिष्ठापन

प्रस्तावना:

1. यह कार्य टीएनओक्यू, आरबीआई, कानपुर में किया जाएगा। ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे अपनी निविदा जमा करने से पहले काम के दायरे, काम करने की स्थिति और काम के बारे में सभी आवश्यक जानकारी के बारे में खुद को परिचित करने के लिए साइट का निरीक्षण करें।
2. उद्धृत दरें इस खाते पर बिना किसी अतिरिक्त के सभी लीड और लिफ्टों पर लागू होनी चाहिए।
3. यह कार्य प्रभारी अभियंता के परामर्श से और किसी अन्य एजेंसी के साथ निकट समन्वय में, यदि कोई हो, किया जाएगा।
4. ठेकेदार काम की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक तैनात करेगा जो बैंक के इंजीनियर से काम के बारे में निर्देश लेगा।
5. **मूल दर मर्दों के लिए मूल्य समायोजन:** मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा के लिए किया जाएगा, कोई बर्बादी पर विचार नहीं किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों और विशेष अनुदेशों में मूल्य समायोजन के लिए धारा घ के खंड संख्या 18 के अनुसार मूल्य समायोजन किया जाएगा।
6. जहां कहीं भी मूल दर का उल्लेख किए बिना, निविदा में कुछ मर्दों के तहत अनुमोदित मेक और उत्पाद कोड का उल्लेख किया गया है। ठेकेदारों को केवल मेक और कोड के लिए दरें उद्धृत करनी होंगी। यदि कार्य के निष्पादन के दौरान बैंक द्वारा कोई परिवर्तन शामिल किया जाता है, तो इन सामग्रियों के लिए मूल्य समायोजन प्रभावित होगा, निर्धारित उत्पाद के एमआरपी और उपयोग किए गए उत्पाद के एमआरपी, साथ ही इस अंतर का 15% (पंद्रह प्रतिशत), ठेकेदार के मुनाफे और ओवरहेड्स (सकारात्मक या नकारात्मक) की ओर। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
7. मूल्य समायोजन के लिए एमआरपी के अलावा कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, अपव्यय, कर, शुल्क आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. जहां भी निविदा मर्दों में सामग्री की मूल दर का उल्लेख किया गया है, उनमें जीएसटी और मूल दर और वास्तविक अनुमोदित खरीद मूल्य (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए जीएसटी और अन्य करों और शुल्कों को छोड़कर, और ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया), साथ ही इस अंतर का 15% (पंद्रह प्रतिशत) ठेकेदार के मुनाफे और ओवरहेड्स के लिए, मूल्य समायोजन (सकारात्मक या नकारात्मक) के लिए विचार किया जाएगा। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
9. मूल्य समायोजन के लिए कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, अपव्यय आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. उद्धृत दरों में काम करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम, बर्बादी, परिवहन, मचान, उपकरण और पौधों की लागत शामिल होनी चाहिए।
11. यह काम आम तौर पर सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच किया जाएगा। हालांकि, आपसी सहमति के अनुसार सामान्य काम के घंटों से अधिक काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इस खाते पर कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। **ठेकेदार को श्रम कानूनों के अनुसार अधिकतम घंटों से अधिक काम के लिए उचित मुआवजा देना चाहिए और दरों को भरते समय ठेकेदार को काम के घंटों को बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहिए।**
12. सफल निविदाकर्ता को बड़े पैमाने पर काम करने से पहले बैंक की मंजूरी लेने के लिए कार्य के प्रत्येक आइटम के लिए सामग्री के नमूनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। नमूनों की व्यवस्था के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसे बैंक की सलाह के अनुसार बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नमूने में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होगी। नमूनों के अनुमोदन के बाद ही बड़े पैमाने पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
13. ठेकेदार लगातार अंतराल पर या प्राथमिकता के आधार पर बैंक परिसर से काम से उत्पन्न मलबे को उठाने की व्यवस्था करेगा अन्यथा प्रति दिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

तकनीकी विनिर्देश

कार्य का दायरा:-

सीएलओक्यू आरबीआई, कानपुर में नई डिस्पेंसरी का निर्माण और प्लैट नंबर के-66 में मॉड्यूलर किचन का प्रतिष्ठापन

सामग्री और कारीगरी: -

इस अनुबंध के तहत ठेकेदार प्रथम श्रेणी की सामग्री का उपयोग करने के लिए खुद को बाध्य करता है। कारीगरी की गुणवत्ता परियोजना की प्रकृति के अनुरूप उच्चतम क्रम की होगी। मानक के अनुरूप नहीं होने वाले सभी कार्यों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा, और ठेकेदार को दोषपूर्ण कार्य को नष्ट करने और अपनी लागत और जोखिम पर कार्य को फिर से करने की आवश्यकता होगी। कारीगरी की गुणवत्ता/मानक के संबंध में वास्तुकार/नियोक्ता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

सामग्री: -

सामग्री का तकनीकी विनिर्देश निविदा के भाग II में मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित विस्तृत विवरण के अनुसार होना चाहिए और जहां भी लागू हो, अपेक्षित परीक्षण प्रमाण पत्र बैंक की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक:

स्थान:

भारतीय रिज़र्व बैंक			
संपदा विभाग			
कानपुर			
मात्राओं की अनुसूची			
कार्य का नाम :- सीएलओक्यू आरबीआई, कानपुर में नई डिस्पेंसरी का निर्माण और फ्लैट नंबर के-66 में मॉड्यूलर किचन का प्रतिष्ठापन			
मद संख्या	विवरण	इकाई	संख्या
निविदा मद संख्या 1.	मौजूदा सीमेंट टाइल फर्श/कोटा स्टोन/सिरेमिक टाइल फ्लोरिंग या डैडो/स्कर्टिंग/सीमेंट डाडो, आदि को सावधानीपूर्वक हटाना। सभी ढीले मोर्टार को हटाने और स्थानीय प्रशासन के अनुमोदित डंपिंग ग्राउंड में बैंक के परिसर से मलबे को हटाने सहित पार्किंग क्षेत्र से या जहां भी आवश्यक हो, सभी सीसा और लिफ्ट आदि सहित बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी कार्य पूरे किए गए हैं।	वर्गमीटर	30.00
निविदा मद संख्या 2.	लगभग 1.34 मीटर x 0.52 मीटर x 0.1 मीटर और 1.8 मीटर x 0.69 मीटर x 0.1 मीटर आकार की 02 आर.सी.सी. शेल्फ को सावधानीपूर्वक हटाना और हटाना, लगभग आकार 0.91 मीटर x 0.52 मीटर x 0.1 मीटर की 2 पैर की अंगुली की दीवार और लगभग 0.81 मीटर x 0.69 मीटर 0.1 मीटर की 2 पैर की अंगुली की दीवार, ब्रैकेट के साथ संगमरमर की मोज़ेक सिंक, जीआई पाइप लाइन, निर्देशानुसार आवश्यक स्थानों पर उपयोगी सामग्री को रखना, बैंक के परिसर के बाहर मलबे/अनुपयोगी सामग्री का निपटान। बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी पूर्ण आदि के लिए दर भी शामिल होगी। नोट: - दर में आगे उपयोग और परिवेश के मिलान के लिए साइट पर आवश्यकता के अनुसार क्षतिग्रस्त परिवेश की मरम्मत करना भी शामिल होगा।	एलएस	1
निविदा मद संख्या 3	प्रत्येक फ्लैट से मौजूदा लकड़ी की खिड़की के शटर, खिड़की की एमएस ग्रिल, एमएस विंडो शटर, विभाजन वास्तुशिल्प सहित लकड़ी के दरवाजे, होल्डफास्ट आदि को सावधानीपूर्वक हटाना और स्थानीय प्रशासन के स्वीकृत डंपिंग ग्राउंड में बैंक के परिसर से मलबे का निपटान करना, जिसमें सभी सीसा और लिफ्ट आदि शामिल हैं। दर में साइट पर आवश्यकता के अनुसार क्षतिग्रस्त परिवेश की मरम्मत, आसपास के मिलान और ग्रेनाइट जंब और सिल (निविदा मद संख्या 28 के अनुसार) और दरवाजे के फ्रेम (निविदा मद संख्या 32 और 33 के अनुसार) को ठीक करने के लिए तैयार सतह शामिल होगी, जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें सीमेंट मोर्टार (1:4) के साथ किनारों को बनाना शामिल है। सभी स्तरों और ऊंचाई पर मचान, इलाज और सफाई आदि सभी कार्य पूरे हो गए हैं। लकड़ी के दरवाजों की अनुमानित संख्या = 1 नग खिड़की की अनुमानित संख्या = 2 नग	एलएस	1

निविदा मद सं.4	प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क (एम20 ग्रेड) के लिए पहले से मिक्स किया गया या साइट बैच सीमेंट कंक्रीट प्रदान करना और लगाना; प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त मोटे एवं बारीक समुच्चय, पोर्टलैंड पोर्जोलाना/ सामान्य पोर्टलैंड/ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, आईएस : 9103 के अनुसार संस्तुत मात्रा में ऐडमिक्स्चर लगाना, कंक्रीट की सेटिंग को तेज/ कम करने के लिए, मजबूती को प्रभावित किए बिना टिकाऊ और बेहतर बनाना; सभी लीड्स के लिए लैपिंग, क्यूरिंग, कैरेज सहित; बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार सेंट्रिंग, शटरिंग और फिनिशिंग की कीमत इसमें शामिल होगी।	Cum.	1.00
निविदा मद सं..5	सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले स्थानीय रूप से उपलब्ध सीमेंट मोर्टार 1:4 मिक्स (1 सीमेंट; 4 खुरदरा बालू) में अच्छी तरह से जले हुए ईंट के साथ हाफ ब्रिक मेसनरी वर्क प्रदान करना और लगाना, इसके साथ-साथ ज्वाइंट्स की रेकिंग, क्यूरिंग आदि करना तथा इसमें प्रत्येक 1 मीटर की ऊंचाई पर 10 एमएम (02 सं) रिइंफोर्समेंट बार भी दिए जाएँ, जो बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार बगल की दीवार/ कॉलम में उचित तरीके से लगाए जाएँ। नोट:- 1. खुले हुए प्लान एरिया का ही माप और इसी क्षेत्र के लिए भुगतान किया जाए।	वर्ग मीटर	41.00
निविदा मद सं.6	सभी ऊंचाई और लेवल पर वर्तमान स्थिति से मेल खाते हुए सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 खुरदरा बालू) (प्लेन/ सैंड फेस्ड/ नीट फिनिशड/ ब्रश द्वारा लगाए गए सीमेंट स्लरी से फिनिशड) में नए बनाए गए दीवारों पर दो सतह में 15-18 मिमी मोटा प्लास्टर दिया और लगाया जाए। इस कीमत के अंतर्गत बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार क्यूरिंग, मचान लगाना, बैंक के परिसर से मलबा बाहर निकालना आदि शामिल किए जाएँ।	वर्ग मीटर	82.00
निविदा मद सं.7	फ्लोर माउंटिंग फ्रेम इंस्टालेशन किट तथा अनुमोदित मॉडल और मेक के फ्लश कंट्रोल प्लेट के साथ यूरोपियन डब्ल्यू सी के लिए 'एस टाइप' ड्रेनपाइप कनेक्शन के साथ सिंगल पीस सिस्टर्न बॉडी (फ्रंट या टॉप एक्चुएशन) देना और फिक्स करना। इस कीमत के अंतर्गत फिक्सिंग व्यवस्था, लेबर, सामग्री, टी एवं पी, बैंक परिसर से बाहर मलबा निकालना आदि शामिल होगा, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार पूर्ण किए जाएंगे। नोट:- सीट कवर, ऐक्सेसरी, फ्लश कंट्रोल प्लेट के साथ फ्लोर माउंटिंग फ्रेम इंस्टालेशन किट तथा अनुमोदित मॉडल और मेक के फ्लश कंट्रोल प्लेट के साथ यूरोपियन डब्ल्यू सी के लिए 'एस टाइप' ड्रेनपाइप कनेक्शन के साथ सिंगल पीस सिस्टर्न बॉडी की मूल कीमत रु. 7115/- प्रति एकस-शोरूम एवं जीएसटी छोड़कर है। नोट:- पीवीसी सीट कवर सहित ई.डब्ल्यू.सी पैन की मूल कीमत जीएसटी छोड़कर, रु. 7115/- प्रति है।	सं.	1

निविदा मद सं. 8.	पैरीवेयर, हिंडवेयर, जैगुआर या अन्य समवक्ष अनुमोदित मेक के सर्वोत्तम गुणवत्ता के सफ़ेद विट्रीयस चाइनावेयर लगभग 550 मिमी x 400 मिमी देना और लगाना; साथ ही पिलर कॉक के लिए होल बनाना, अनुमोदित मेक के 32 मिमी व्यास के सीपी ब्रास हाफ थ्रेड वेस्ट कपलिंग देना और लगाना, पीवीसी कनेक्शन और 32 मिमी व्यास के हेवी अनुमोदित गुणवत्ता के सीआई/ एम एस ब्रैकेट, सीमेंट कंक्रीट से साथ लगाना, मेटल प्राइमर या अच्छी गुणवत्ता वाले सिंथेटिक एनामेल पेंट के दो या दो से अधिक कोट लगाना, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार पूर्ण किए जाएं। नोट:- सीपी ब्रास वेस्ट कपलिंग के साथ वाश बेसिन की मूल कीमत, जीएसटी छोड़कर प्रति रु. 1850/- है।	सं.	2
निविदा मद सं. 9.	600 मिमी. X 1200 मिमी. आकार के अनुमोदित गुणवत्ता के पॉलिशड वीट्रिफाइड टाइल्स या किसी अन्य अनुमोदित आकार के अनुमोदित विनिर्माता के 3 मिमी पीवीसी स्पेसर, निविदा मद सं.1 में वर्तमान फ्लोरिंग या डिसमैटल किए गए फ्लोर पर अपेक्षित डिजाइन और पैटर्न में मेक और शेड के फ्लोरिंग, फेवीमेट -एक्सएल, बॉल/ आर्डेक्स-एंडयूरा, सिल्वर स्टार, लैटीक्रीट या केमबॉन्ड जैसे अनुमोदित गुणवत्ता के ऐडहेसिव टाइल के साथ, अनुमोदित शेड और रंग के एपोक्सी ग्राउट से ज्वाइंट्स को भरना। इस कीमत के अंतर्गत टाईल फिक्सिंग ऐडहेसिव की अतिरिक्त मोटाई, यदि उचित फ्लोर लेवल/ स्लोप बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तथा मशीन से डीप ग्रूव्स बनाकर सतह तैयार करना, फ्लोरिंग, क्लीनिंग से सतह की हैकिंग; बैंक के परिसर से मलबा बाहर निकालना आदि, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार पूर्ण किए जाएं। नोट: 1. वीट्रिफाइड टाइल की मूल कीमत, जीएसटी छोड़कर रु. 560 प्रति वर्ग मीटर है। 2. खुले हुए प्लान एरिया का ही माप किया जाएगा और उसी के लिए भुगतान किया जाएगा।	वर्ग मीटर	55
निविदा मद सं. 10.	600 मिमी X 1200 मिमी आकार के अनुमोदित गुणवत्ता के पॉलिशड वीट्रिफाइड टाइल्स या, अनुमोदित शेड और रंग के एपोक्सी ग्राउट के साथ ज्वाइंट सहित सीमेंट स्लरी में औसत 12 मिमी मोटे सीमेंट मोर्टार (1 सीमेंट : 3 खुरदरा बालू) पर डैडो वर्क (बीएमओ केबिन) में 3 मिमी स्पेसर के साथ किसी अन्य अनुमोदित आकार के टाइल्स लगाना, क्लीनिंग, क्यूरिंग आदि। इस कीमत के अंतर्गत सतह बनाना/ तैयार करना तथा जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान प्लास्टर को हटाना और बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार कार्यों को पूर्ण करना। नोट: 1. 600 मिमी X 1200 मिमी या किसी अन्य अनुमोदित आकार के वीट्रिफाइड टाइल्स की मूल कीमत, जीएसटी छोड़कर प्रति वर्ग मीटर रु. 560/- है। 2. खुले हुए एरिया का ही माप एवं भुगतान किया जाएगा। 3. यदि कार्य पूर्ण करने के लिए विंडो शटर को हटाना और पुनः फिक्स करना तथा बीडिंग आवश्यक हो, तो इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।	वर्ग मीटर	26

<p>निविदा मद सं. 11.</p>	<p>डैडो वर्क (रसोई, शौचालय और वाश एरिया) (मुख्य और हाइलाइटर टाइल्स दोनों) में अनुमोदित मेक, आकार और फिनिश की अनुमोदित उत्तम गुणवत्ता वाली सिरेमिक टाइल्स प्रदान करना और बिछाना, सीमेंट स्लरी में बिछाए गए बेडिंग सेट, जिसमें मिलान शेड के पॉलीमर सीमेंट ग्राउट या पॉलीमर के साथ मिश्रित सफेद सीमेंट स्लरी और मैचिंग पिगमेंट के साथ जोड़ना, सफाई, क्युरिंग, सीमेंट मोर्टार के साथ नुकसान को ठीक करना, सफाई आदि शामिल हैं। दर में बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी ऊंचाइयों पर सभी पूर्ण सहित सतह को बनाना/तैयार करना शामिल होगा। नोट: - 1. 300 मिमी. की मूल दर. 600 मिमी. या कोई अन्य अनुमोदित आकार की सिरेमिक टाइलें रु. 520/- प्रति वर्ग मीटर जीएसटी को छोड़कर। 2. केवल खुले क्षेत्र को मापा और भुगतान किया जाएगा। 3. यदि आवश्यक हो तो कार्य को उचित रूप से पूरा करने के लिए खिड़की के शटर और बीडिंग को हटाने और फिर से लगाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।</p>	<p>वर्ग मीटर</p>	<p>35</p>
<p>निविदा मद सं. 12.</p>	<p>अनुमोदित मेक और शेड के 300 मिमी X 300 मिमी. स्क्वैच प्रतिरोध, विट्रिफाइड, फुल बॉडी एंटी-स्लिप टाइल्स की आपूर्ति की जाए और लगाया जाए, 20 मिमी. मोटी सीमेंट स्लरी 1:4 (1 सीमेंट : 4 खुरदरा बालू) में बेडिंग सेट मैचिंग पिगमेंट के साथ मिश्रित सफेद सीमेंट के साथ वांछित स्तर, ढलान और पैटर्न में फ्लोरिंग किया जाए, क्लीनिंग, क्युरिंग आदि सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार पूर्ण किए जाएं। नोट:- 1. मूल दर सिरेमिक नॉन-स्किड टाइल्स, जीएसटी को छोड़कर रु. 420/- प्रति वर्ग मीटर है। 2. यह मद बाथरूम और शौचालयों आदि में कार्यान्वित किया जाएगा। 3. केवल खुले एरिया को मापा और भुगतान किया जाएगा।</p>	<p>वर्ग मीटर</p>	<p>2</p>
<p>निविदा मद सं. 13.</p>	<p>टाइल ऐडहेसिव या सीमेंट मोर्टार 1:4 पर रखे गए मुख्य द्वार और अन्य दरवाजों के लिए 16 से 17 मिमी. मोटी अनुमोदित गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट पत्थर की डोर सिल 60 मिमी. चौड़ाई प्रदान करना और फिक्स करना, जिसमें पॉलीमर सीमेंट ग्राउट या पॉलीमर के साथ मिश्रित सफेद सीमेंट स्लरी और मैचिंग पिगमेंट के साथ ज्वाइंट्स को भरना शामिल है, एज मोल्डिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, क्युरिंग आदि, सभी कार्य बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार पूर्ण किए जाएं।</p>	<p>आरएम.</p>	<p>4</p>

<p>निविदा मद सं. 14.</p>	<p>मौजूदा दीवार की सतह से ढीले/ खोखले/ क्षतिग्रस्त सीमेंट प्लास्टर (सादा/खुरदरा कास्ट) को सावधानीपूर्वक हटाना, सतह को अच्छी तरह से साफ करना। मौजूदा डिज़ाइन/पैटर्न (सादा/खुरदरा कास्ट) के अनुसार मौजूदा (सादा/खुरदरा कास्ट) सीमेंट प्लास्टर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करना, निर्माता के विनिर्देश के अनुसार BASF मास्टरब्रेस 1414 या FOSROC Nitobond AR या PIDILITE डॉ. फिक्सिट एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट या बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष के बॉन्ड कोट प्रदान करना और लागू करना। जब बॉन्ड कोट अभी भी चिपचिपा है, तो उपचारित सतह पर 12-20 मिमी. मोटी सीमेंट और मोटे रेत प्लास्टर (1:4) प्रदान करना और लागू करना, उपयुक्त मोर्टार मिक्सिंग कंपाउंड जैसे BASF मास्टर Emaco 131 या FOSROC Nitobond AR या PIDILITE सुपर लेटेक्स या बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष के साथ मिश्रित, जिसमें क्यूरिंग आदि शामिल है, सभी निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार पूर्ण किए जाएं।</p> <p>उद्धृत दर में सभी ऊंचाइयों और स्तरों पर कार्य करने के लिए सुरक्षित मचान प्रदान करने और फिक्स करने, इलाज, सफाई, बैंक के परिसर के बाहर मलबे को हटाने आदि को शामिल किया जाना चाहिए, बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार सभी कार्य पूर्ण किए जाएं।</p> <p>नोट:- 0.1 वर्ग मीटर से अधिक का माप किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।</p>	<p>वर्ग मीटर</p>	<p>10</p>
<p>निविदा मद सं. 15.</p>	<p>प्रिंस, सुप्रीम, फिनोलेक्स, एस्ट्रल या किसी भी अनुमोदित ब्रांड के हेवी गुणवत्ता वाले क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइपों को गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए थर्मल स्थिरता प्रदान करना और फिक्स करना, जिसमें सभी सीपीवीसी सादे और पीतल के थ्रेडेड फिटिंग शामिल हैं, जिसमें नियमित अंतराल पर क्लैम्प के साथ पाइप को फिक्स करना शामिल है। इसमें पाइपों को जोड़ना, मौजूदा जीआई पाइपों और फिटिंग के साथ एक स्टेप सीपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट के साथ फिट करना और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप से जोड़ों के परीक्षण सहित चेस को काटने और फिक्स करने की लागत शामिल है। दरों में बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप से पूर्ण होने वाले सभी सीपीवीसी पाइप को हाउसिंग के बाद दीवारों में 7.5x7.5 सेमी तक चेस बनाना, फिक्स करना और मिलान सतह के साथ फिनिशिंग देना शामिल है। इसकी दरों में छिपे हुए कार्य, जिसमें चेज़ कटिंग और दीवारों को ठीक करना आदि शामिल है। पाइप 20 मिमी व्यास का है।</p>	<p>आर.मी.</p>	<p>25</p>

निविदा मद सं. 16.	प्रिंस, सुप्रीम, फिनोलेक्स, एस्ट्रल या किसी भी अनुमोदित ब्रांड के पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों को मिट्टी/अपशिष्ट लाइन के लिए अनुमोदित भारी गुणवत्ता वाले पाइप प्रदान करना और फिक्स करना, सभी फिटिंग और स्पेशल्स जैसे बेंड, डोर टी के साथ या बिना जंक्शन आदि के साथ। पाइप को अपेक्षित दूरी पर क्लैम्प के साथ फिक्स करना और इसे मौजूदा लाइनों, गली ट्रैप, मैनहोल, आरसीसी/ईट की दीवार में जहां भी आवश्यक हो, कोर कटिंग के साथ जोड़ना, सीमेंट कंक्रीट के साथ इसे बंद करना और सीमेंट मोर्टार के साथ फिनिशिंग देना, भारी गुणवत्ता वाले एम.एस. क्लैम्प प्रदान करना और फिक्स करना तथा बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप से ज्वाइंट्स का परीक्षण करना, आदि। इस दर में छिपे हुए कार्य, जिसमें चेस काटना और दीवारों/फर्शों आदि को ठीक करना शामिल है, और मचान, परीक्षण आदि के लिए बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप से सभी पूर्ण कार्य शामिल होंगे। पाइप का आकार 75 मिमी व्यास है।	आर.मी.	6
निविदा मद सं. 17.	प्रिंस, सुप्रीम, फिनोलेक्स, एस्ट्रल या किसी भी अनुमोदित ब्रांड के पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों की आपूर्ति और उन्हें फिक्स करना, जिसमें मिट्टी/अपशिष्ट लाइन के लिए सभी फिटिंग और विशेष जैसे बेंड, डोर टी के साथ या बिना जंक्शन आदि शामिल हैं। पाइप को अपेक्षित दूरी पर क्लैम्प के साथ फिक्स करना और इसे मौजूदा लाइनों, गली ट्रैप, मैनहोल, आरसीसी/ईट की दीवार में जहां भी आवश्यक हो, कोर कटिंग के साथ जोड़ना, सीमेंट कंक्रीट के साथ इसे बंद करना और सीमेंट मोर्टार के साथ फिनिशिंग देना, भारी गुणवत्ता वाले एम.एस. क्लैम्प प्रदान करना और उन्हें फिक्स करना और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप से ज्वाइंट्स का परीक्षण करना आदि। इस दर में छिपे हुए कार्य, जिसमें चेस काटना और दीवारों/फर्श आदि को ठीक करना शामिल है, और मचान, परीक्षण आदि के लिए बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप से सभी पूर्ण कार्य शामिल होंगे। पाइप का आकार 100 मिमी व्यास है।	आर.मी.	2.5
निविदा मद सं. 18.	प्रिंस, सुप्रीम, फिनोलेक्स, एस्ट्रल या किसी भी अनुमोदित ब्रांड पीवीसी फ्लोर ट्रैप के 100 मिमी. एक्स 75 मिमी. व्यास को प्रदान करना और स्थिति में फिक्स करना और परीक्षण करना, जिसमें मौजूदा/नई पाइपलाइन के साथ कनेक्शन बनाना भी शामिल है, आदि सभी बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार पूर्ण किए जाएंगे।	सं.	3
निविदा मद सं. 19-1.	सीपी ब्रास बाथरूम और अन्य फिटिंग को प्रदान करना, फिक्स करना और परीक्षण करना, जहां भी लागू हो, फ्लैज के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के साथ, बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार सभी कार्य पूर्ण किए जाएंगे। 15 मिमी. सीपी. ब्रास फिटिंग: - ऐंग्युलर स्टॉप कॉक नोट: - दीवार फ्लैज के साथ ऐंग्युलर स्टॉप कॉक की मूल दर जीएसटी को छोड़कर, प्रति रु.1150/- है।	सं.	10
निविदा मद सं. 19-2.	पिलर कॉक को छोड़कर उक्त 19.1 के समान नोट: - एकल लीवर एक्सटेंडेड बेसिन मिक्सर की मूल दर जीएसटी को छोड़कर प्रति रु. 3650/- है।	सं.	2

निविदा मद सं. 19-3.	निम्न को छोड़कर उक्त 19.1 के समान - कंसील्ड स्टॉप कॉक की रेग्युलर बॉडी तथा फिटिंग स्लीव, ऑपरेटिंग लीवर एवं ऐडजस्टेबल वाल फ्लैज के साथ कंसील्ड स्टॉप कॉक का एक्सपोज़्ड पार्ट किट। नोट : - कंसील्ड स्टॉप कॉक की रेग्युलर बॉडी तथा फिटिंग स्लीव, ऑपरेटिंग लीवर एवं ऐडजस्टेबल वाल फ्लैज के साथ कंसील्ड स्टॉप कॉक का एक्सपोज़्ड पार्ट किट की मूल कीमत, जीएसटी छोड़कर प्रति रु.1,400/- है।	सं.	3
निविदा मद सं. 19-4.	निम्न को छोड़कर उक्त 19.1 के समान - हैंड शावर (हेल्थ फॉसेट) 8 मिमी. व्यास, 1.20 मीटर लंबा फ्लेक्सिबल ट्यूब एवं वॉल हुक नोट : - 8 मिमी. व्यास, 1.20 मीटर लंबा फ्लेक्सिबल ट्यूब एवं वॉल हुक के साथ हैंड शावर की मूल कीमत, जीएसटी छोड़कर प्रति रु. 950/- है।	सं.	1
निविदा मद सं. 19-5.	निम्न को छोड़कर उक्त 19.1 के समान - स्विंगिंग कास्टेड स्पाउट (वॉल माउंटेड मॉडल) के साथ सिंक मिक्सर, कनेक्टिंग लेग्स और वॉल फ्लैज के साथ नोट: - स्विंगिंग कास्टेड स्पाउट (वॉल माउंटेड मॉडल) कनेक्टिंग लेग्स और वॉल फ्लैज के साथ सिंक मिक्सर, जीएसटी छोड़कर प्रति रु.2950/- है।	सं.	1
निविदा मद सं. 19-6.	निम्न को छोड़कर उक्त 19.1 के समान - हेल्थ फॉसेट को कनेक्ट करने के लिए टू-वे बिब कॉक नोट : - हेल्थ फॉसेट को कनेक्ट करने के लिए टू-वे बिब कॉक की मूल कीमत, जीएसटी छोड़कर प्रति रु.2000/- है।	सं.	1
निविदा मद सं. 20-1.	जहां भी लागू हो, फ्लैज के साथ अनुमोदित गुणवत्ता के बाद बाथरूम और अन्य फिटिंग प्रदान करना, फिक्स करना और परीक्षण करना, आदि बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देश के अनुसार सभी पूर्ण किए जाएं। सोप डिश होल्डर नोट: - सोप डिश होल्डर की मूल कीमत, जीएसटी को छोड़कर प्रति रु. 600/- है।	सं.	2
निविदा मद सं. 20-2.	निम्न को छोड़कर उक्त 20.1 के समान - डबल हुक नोट : - डबल हुक की मूल कीमत, जीएसटी को छोड़कर प्रति रु. 500/- है।	सं.	1
निविदा मद सं. 20-3.	निम्न को छोड़कर उक्त 20.1 के समान - कॉर्नर ग्लास शेल्फ (ब्रैकेट के साथ) नोट : - कॉर्नर ग्लास शेल्फ (ब्रैकेट के साथ) की मूल कीमत, जीएसटी को छोड़कर प्रति रु. 1200/- है।	सं.	1
निविदा मद सं. 20-4	निम्न को छोड़कर उक्त 20.1 के समान - बोतल ट्रेप नोट : - बोतल ट्रेप की मूल कीमत, जीएसटी को छोड़कर प्रति रु. 1500/- है।	सं.	2
निविदा मद सं. 20-5	निम्न को छोड़कर उक्त 20.1 के समान - टॉयलेट रोल होल्डर नोट : - टॉयलेट रोल होल्डर की मूल कीमत, जीएसटी को छोड़कर, एक्स शोरूम प्रति रु. 600/- है।	सं.	1

निविदा मद सं. 20-6	निम्न को छोड़कर उक्त 20.1 के समान - राउंड फ्लैज के साथ टॉवल रिंग नोट : - राउंड फ्लैज के साथ टॉवल रिंग की मूल कीमत, जीएसटी को छोड़कर, एक्स शोरूम प्रति रु. 850/- है।	सं.	2
निविदा मद सं. 21.	100 मिमी. स्टेनलेस स्टील फ्लोर ट्रेप ग्रेटिंग आदि प्रदान करना, फिक्स करना और परीक्षण करना तथा बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देश के अनुसार सभी कार्य पूर्ण किए जाएं।	सं.	3
निविदा मद सं. 22.	5 मिमी. मोटी 750 मिमी. एक्स 600 मिमी. अनुमोदित गुणवत्ता फ्लोट ग्लास मिरर की आपूर्ति और फिक्सिंग, मोदी या टाटा या सेंट गोबेन या अतुल मेक 40 मिमी. एक्स 20 मिमी. अनुमोदित गुणवत्ता पॉलिश सजावटी सीपी. सागौन लकड़ी या प्री-पेंटेड एमडीएफ बीडिंग और 6 मिमी. मोटी वाटरप्रूफ प्लाई बैकिंग, फिक्सिंग व्यवस्था, आदि बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी पूर्ण किए जाएं।	वर्ग मीटर	1
निविदा मद सं. 23.	16 से 18 मिमी. मोटी, 350 मिमी. चौड़ी (लगभग) और सिंगल पीस मिरर पॉलिश जेट ब्लैक या किसी अन्य अनुमोदित रंग की ग्रेनाइट पत्थर की स्लैब को 20 मिमी. मोटी बेस सीमेंट मोटार 1:4 (1 सीमेंट:4 मोटी रेत), सफेद सीमेंट के साथ उपचारित जोड़ों, मेल खाने वाले रंगद्रव्य के साथ मिश्रित, एपॉक्सी टच अप, जिसमें रगड़ना, क्युरिंग, पूर्ण गोल मोल्डिंग और किनारों की पॉलिशिंग शामिल है, ताकि उच्च चमक फिनिश आदि मिल सके, सभी स्तरों पर पूर्ण हो। दर में बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित पानी की निकासी के लिए बाहरी किनारे की ओर ढलान देने के लिए शामिल होना चाहिए। नोट: - 1. यह आइटम विंडोसिल, सोफिट एंड जैम्ब्स और रैंप क्षेत्र में संचालित किया जाएगा। 2. भुगतान के लिए केवल उजागर योजना क्षेत्र को मापा जाएगा। 3. मूल दर रु. 2300/- प्रति वर्ग मीटर जीएसटी को छोड़कर है।	वर्ग मीटर	9
निविदा मद सं. 24.	निराली, डायमंड या किसी अन्य समकक्ष अनुमोदित आकार, निर्माण और गुणवत्ता (अधिमानत: ग्लासी) के स्टेनलेस स्टील किचन सिंक, जिसमें स्ट्रनर, कपलिंग, उपयुक्त लंबाई (लगभग 600 मिमी) का उपयुक्त लंबाई का पी.वी.सी. वेस्ट पाइप शामिल है, प्रदान करना और लगाना शामिल है। दर में मौजूदा प्लेटफॉर्म से सटे सिंक को फिक्स करने के लिए सिंक के चारों ओर आवश्यक शटरिंग और आवश्यक आकार की स्टील बार (लगभग 0.69 मी. और दीवार के बीच खुली जगह का आकार लगभग 0.66 मी. है) आदि का निर्माण शामिल होगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी पूर्ण किए जाएं। नोट: - ग्रेटिंग और कपलिंग के साथ सिंक के एक पूर्ण सेट के लिए मूल कीमत जीएसटी को छोड़कर रु. 6900/- प्रति यूनिट है।	सं.	1

<p>निविदा मद सं. 25.</p>	<p>सख्त (तार या कॉयर) ब्रश का उपयोग करके धूल या गंदगी, लाइकेन या किसी अन्य जैविक वृद्धि को अच्छी तरह से हटाकर सतह तैयार करना, सतह को अच्छी तरह से धोना और सतहों को सूखने देना और आवश्यक सतह की तैयारी करना, आंतरिक ग्रेड पुट्टी या आंतरिक ग्रेड भराव सामग्री का उपयोग करके आवश्यक स्तर तक सतह को समतल या दरार मुक्त बनाना, आदि, सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप में दीवारों/डैडो, छत, बीम, कॉलम, चंदवा, सीढ़ियों, लॉबी/लैंडिंग आदि की आंतरिक सतहों पर निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार अनुमोदित शेड के आंतरिक प्राइमर के एक कोट पर प्रथम गुणवत्ता प्रीमियम ऐक्रेलिक/प्लास्टिक इमल्शन पेंट के दो या अधिक कोट प्रदान करना और लगाना। इस दर में मचान, इलाज, ग्लास पेन्स, दरवाजों, खिड़कियों, सीढ़ियों, फर्श और दिन के काम के अंत में खुले क्षेत्र की सफाई शामिल होगी, जिससे निवासियों/उपयोगकर्ताओं को कोई असुविधा न हो। ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि वे बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें, ताकि काम पूरा हो सके। नोट: - केवल इलेवेटेड/पेंट किए गए क्षेत्र (समतल क्षेत्र) को इस मद में मापा जाएगा, गुणांक को माप और भुगतान के लिए नहीं माना जाएगा।</p>	<p>वर्ग मीटर</p>	<p>210.00</p>
<p>निविदा मद सं. 26.</p>	<p>कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार फ्लश डोर शटर फिक्स करने के लिए सिंगल साइड रिबेट के साथ दरवाजों के लिए 100 एमएम X 60 एमएम (लगभग) के अपेक्षित आकार के द्वितीय श्रेणी का टीकवुड चौखट/ फ्रेम प्रदान करना, बनाना और फिक्स करना, साथ ही, अनुमोदित शेड का पॉलिश किया जाए और बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। नोट : i) इस दर के अंतर्गत प्रत्येक चौखट/फ्रेम के लिए आवश्यक आकार के 8 होल्डफास्ट या डैश फास्टर प्रदान करना और उन्हें फिक्स करना शामिल होगा (प्रत्येक चौखट के दोनों तरफ 4 होल्डफास्ट जो दीवार के 1:2:4 ब्लॉक आकार 250 मिमी x 230 मिमी x दीवार की मोटाई के साथ दीवार के दोनों तरफ दीवार में एम्बेडेड हैं, फ्रेम के दीवार से संपर्क वाले हिस्से को पूरी लकड़ी के फ्रेमवर्क पर एंटी-टर्माइट ट्रीटमेंट के कोट सहित अनुमोदित गुणवत्ता बिटुमिनस आधारित पेंट से पूरी तरह से पेंट किया जाएगा। () दर में साइट पर आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त परिवेश की मरम्मत भी शामिल होगी, परिवेश से मेल खाती है, प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार सीमेंट मोर्टार (1:4) के साथ किनारों को बनाना, सभी स्तर और ऊंचाई पर मचान, क्युरिंग और सफाई आदि सभी पूर्ण किए जाएं। iii) दीवार पर लगाने के बाद लकड़ी के फ्रेम के केवल फिनिश खंड को भुगतान के लिए मापा जाएगा।</p>	<p>Cum.</p>	<p>0.12</p>

<p>निविदा मद सं. 27.</p>	<p>दरवाजे के कार्य: बीडब्ल्यूपी ग्रेड के 30-32 मिमी मोटी प्रीमियम गुणवत्ता वाले कारखाने से बने ब्लॉकबोर्ड दरवाजे प्रदान करना और उन्हें सही जगह पर लगाना तथा आईएस 2022 भाग 1 (2023) के अनुरूप अनुमोदित गुणवत्ता, ब्रांड/निर्माता सिंगल लीफ फ्लश डोर शटर दोनों तरफ से कॉमर्शियल प्लाई फिनिश के साथ प्रदान करना तथा दोनों तरफ 1.0 मिमी मोटी लैमिनेट लगाना, जिसमें बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी आवश्यक स्कू के साथ 30-32 मिमी चौड़ा और 6 मिमी मोटा पॉलिश किया हुआ द्वितीय श्रेणी का सागौन का लिपिंग शामिल है। दरों में न्यूनतम 4 सं. 125X12X5 मिमी लंबे भारी गुणवत्ता वाले बेयरिंग प्रकार एसएस बट हिंजेज़ को प्रदान करने और फिक्स करने के लिए शामिल होंगे। दरों में सभी हार्डवेयर और एक्सेसरीज़ (प्रत्येक दरवाजे में) प्रदान करने और उन्हें लगाने की लागत शामिल होंगी, जिसमें 8-10 इंच एसएस टॉवर बोल्ट-1 सं., 8-10 इंच एसएस एल्ड्रोप-2 सं., 10-12 इंच एसएस हैंडल-2 सं. आदि, गूक्स बनाना, प्रदान करना, पेंच, कील, लैमिनेट फिक्सिंग के लिए ऐडहेसिव, लकड़ी के स्टड, लकड़ी की बीडिंग, सभी आवश्यक फिक्सिंग व्यवस्था आदि शामिल हैं। सभी कार्य बैंक के अनुमोदन और कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूर्ण किए जाएं।</p> <p>नोट:- 1. लैमिनेट की मूल दर रु. 600/- प्रति वर्ग मीटर है। (जीएसटी को छोड़कर) 2. प्रदान किया जाने वाला हार्डवेयर केवल बैंक के अनुमोदन के अनुसार है।</p>	<p>सं.</p>	<p>1.00</p>
<p>निविदा मद सं. 28.</p>	<p>दरवाजे के कार्य: 30-32 मिमी मोटी प्रीमियम गुणवत्ता वाली फैक्ट्री मेड, जिसे आंशिक रूप से 5 मिमी क्लियर ग्लास से ग्लेज़ किया गया है, जिसके दोनों तरफ सागौन की लकड़ी की बेडिंग है, बीडब्ल्यूपी ग्रेड का ब्लॉकबोर्ड दरवाजा और अनुमोदित गुणवत्ता के आईएस 2022 भाग 1 (2023) के अनुरूप, ब्रांड/निर्माता सिंगल लीफ फ्लश डोर शटर, जिसमें लगभग 0.78 मिमी चौड़ा और 6 मिमी मोटा पॉलिश किया हुआ द्वितीय श्रेणी के सागौन का लिपिंग शामिल है, दोनों तरफ 1.0 मिमी मोटी लैमिनेट का प्रावधान और ऐडहेसिव, बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूर्ण किया जाए। इन दरों में न्यूनतम 4 सं. 125X12X5 मिमी लंबे भारी गुणवत्ता वाले बेयरिंग प्रकार एसएस बट हिंजेज़ को प्रदान करने और फिक्स करने के लिए शामिल होंगे। दरों में सभी हार्डवेयर और एक्सेसरीज़ (प्रत्येक दरवाजे में) प्रदान करने और उन्हें लगाने की लागत को शामिल होंगी, जिसमें एसएस डोर स्टॉपर, डोर बफर, 8-10 इंच एसएस टॉवर बोल्ट-1 सं., 8-10 इंच एसएस एल्ड्रोप-2 सं., 10-12 इंच एसएस हैंडल-2 सं., डोर क्लोजर-01 सं. आदि, गूक्स बनाना, स्कू, कील, लैमिनेट फिक्सिंग के लिए ऐडहेसिव पदार्थ, लकड़ी के स्टड, लकड़ी की बीडिंग प्रदान करना, सभी आवश्यक फिक्सिंग व्यवस्था आदि शामिल हैं। सभी कार्य बैंक के अनुमोदन और कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूर्ण किए जाएं।</p> <p>नोट:-</p>	<p>सं.</p>	<p>2.00</p>

	<p>1. लैमिनेट की मूल दर रु. 600/- प्रति वर्ग मीटर है। (जीएसटी को छोड़कर)</p> <p>2. प्रदान किया जाने वाला हार्डवेयर केवल बैंक के अनुमोदन के अनुसार है।</p>		
<p>निविदा मद सं. 29.</p>	<p>ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर क्लैडेड सिल और जैम्ब व्यवस्था में सफेद रंग की यू.पी.वी.सी. सिस्टम की खिड़कियों का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण और स्थापना। यू.पी.वी.सी. सिस्टम की खिड़कियां प्रीमियम किस्म के अनुमोदित लेड फ्री यू.पी.वी.सी. एक्सट्रूडेड प्रोफाइल/सेक्शन का उपयोग करके विभिन्न सांकेतिक आकार और प्रकार की अनुमोदित ब्रांड की होनी चाहिए। उच्च प्रभाव वाले संशोधित ग्रेड यू.पी.वी.सी. का प्रोफाइल फ्रेम, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आवश्यक योजकों के साथ ट्रॉपिकलाइज़्ड ब्लेंड से निर्मित होगा। फ्रेम, सैश और मुलियन्स आदि सहित सभी प्रोफाइल सेक्शन कलरफास्ट होने चाहिए और मानक EN12608 के अनुरूप होने चाहिए, जिनमें न्यूनतम दीवार की मोटाई 2.3 ± 0.2 मिमी होनी चाहिए। प्रोफाइल सेक्शन में न्यूनतम मोटाई 1.8 ± 0.2 मिमी के साथ जिंक कोटेड जीआई सुदृढीकरण शामिल करने के लिए मल्टी हॉलो (न्यूनतम 2 से 3 चैंबर) चैंबर होना चाहिए, जो बंद चैंबर में निरंतर लंबाई में फिट किया गया हो। यू.पी.वी.सी. खिड़कियों को फ्यूजन वेल्डेड कॉर्नर के साथ बनाया जाना चाहिए और EN12608 के अनुसार मजबूती की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए।</p> <p>न्यूनतम मोटाई 1.9 मिमी की उपयुक्त आकार के एसएस 304 फ्रिक्शन हिंजेज़ सहित हार्डवेयर, बेहतर गुणवत्ता वाले जिंक एलॉय कास्टेड और पाउडर कोटिंग के हैंडल, स्लाइडिंग विंडो में पुश बटन, 120 किलोग्राम तक भार वहन क्षमता वाले नायलॉन रोलर। आंतरिक जल निकासी चैंबर से अलग की जानी चाहिए जिसमें सुदृढीकरण रखा जा सकता है या जिसके माध्यम से फ्रेम फिक्सिंग पास हो सकता है। जल निकासी या तो बेस के माध्यम से या वैकल्पिक रूप से फेस तक होगी, जो फेस ड्रेनेज कैप द्वारा छिपी हुई होगी। खिड़कियों के गतिशील भागों में उपयोग में आकस्मिक स्थिर और गतिशील भार का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत और मजबूती होनी चाहिए। समग्र मूल्यांकन उपयोग के अनुभव पर आधारित होगा और बैंक द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। खिड़की का फ्रेम 100 मिमी लंबे और 8 मिमी व्यास के साथ दीवार पर फिक्स किया जाएगा। जीआई फास्टरों और फ्रेम को ठीक करने के बाद फ्रेम और आसन्न तैयार दीवार के बीच के अंतर को बैंक के इंजीनियर-प्रभारी के अनुमोदित ड्राइंग और निर्देश के अनुसार सभी मामलों में पूर्ण रूप से अनुमोदित गुणवत्ता के आवश्यक आकार के बैकर रॉड के ऊपर मौसमरोधी सिलिकॉन सीलेंट से भरा जाएगा।</p>	<p>वर्ग मीटर</p>	<p>6.75</p>

	<p>कार्य में 22 मिमी का 'डीजीयू ग्लास कॉन्सेप्ट' प्रदान करना शामिल होगा, अर्थात् 5 मिमी मोटी क्लियर टफएंड ग्लास + 12 मिमी गैप/रिक्त स्थान + जहां भी आवश्यक हो 5 मिमी मोटी क्लियर टफएंड या फ्रॉस्टेड ग्लास और स्लाइडिंग कंपार्टमेंट के लिए एक फ्लाइंग/मच्छर मेश शटर के लिए ट्रैक जोड़ना (जहां भी आवश्यक हो) जिसमें ईपीडीएम गास्केट, सिलिकॉन रबर सीलेंट आदि जैसे सभी सहायक उपकरण शामिल हैं, सभी उचित तरीके से किए जाएं ताकि निम्नलिखित अनुमानित आकार और विनिर्देशों के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार मजबूत, स्थिर, साउंड प्रूफ और सौंदर्य की दृष्टि से उचित खिड़कियां प्राप्त की जा सकें। इस दर में शॉप डिजाइन प्रदान करना और यूपीवीसी सिस्टम विंडो सेट के निष्पादन से पहले बैंक की मंजूरी प्राप्त करना शामिल होगा, जिसमें प्रस्तावित यूपीवीसी सिस्टम विंडो व्यवस्था के आकार और समग्र उपस्थिति को दर्शाने वाला कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न 3डी स्केच शामिल होगा।</p> <p>नोट:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ठेकेदार अपने खर्च पर कार्य सौंपे जाने के बाद ऊपर बताए गए डिजाइन और शॉप ड्राइंग के लिए बैंक से अनुमोदन प्राप्त करेगा। 2. सांकेतिक आयाम/ओपनिंग आकार कार्य-निष्पादन के दौरान थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसके लिए कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे ठेकेदार अपने खर्च पर प्रदान करेगा और कार्य सौंपे जाने के बाद ऊपर निर्दिष्ट डिजाइन और शॉप ड्राइंग के लिए बैंक से अनुमोदन प्राप्त करेगा। 3. खिड़कियों को तैयार ग्रेनाइट स्टोन सिल पर लगाया जाना है और ग्रेनाइट विंडोसिल के पूरा होने पर वास्तविक आकार प्राप्त किया जा सकता है। 4. बेहतर प्रोफाइल आयाम होने पर भिन्नता स्वीकार की जाएगी लेकिन इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा 		
	<p>3 ट्रैक की यूपीवीसी ग्लेज्ड स्लाइडिंग शटर विंडो अर्थात् 2 ग्लास शटर और एक एसएस फ्लाइंग/मोस्किटो नेट स्लाइडिंग शटर जिसमें निम्नलिखित सांकेतिक आयाम शामिल हैं:</p> <p>(क) 112X50 मिमी आकार का यूपीवीसी बाहरी फ्रेम (बी) रोलर के साथ फिट 45X74 मिमी आकार का शटर फ्रेम, प्रोफाइल 2.3X0.2 मिमी की दीवार की मोटाई, 22 मिमी डीजीयू यानी 5 मिमी मोटी स्पष्ट टफएंड ग्लास+ 12 मिमी गैप + 5 मिमी मोटी स्पष्ट टफएंड ग्लास</p> <p>(ख) 22 एसडब्ल्यूजी के 304 ग्रेड का यूपीवीसी एसएस वायर फ्लाइंग/ मोस्किटो ट्रैप और 144 एपर्चर प्रति वर्ग इंच शटर फ्रेम अलग से अतिरिक्त ट्रैक में हार्डवेयर जैसे टच लॉक आदि सहित सभी पूर्ण।</p> <p>(d) हेवी ड्यूटी नायलॉन रोलर्स प्रदान करना और उन्हें फिक्स करना, विनिर्माताओं के विनिर्देश के अनुसार आवश्यक हार्डवेयर और फिटिंग सहित अनुमोदित डिजाइन की लॉकिंग व्यवस्था।</p> <p>नोट: नीचे की प्रोफाइल/सेक्शन को उचित स्लोप के साथ फैक्ट्री फिनिशड स्लिट/ होल द्वारा उचित ड्रेन व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। इस दर में स्थापना, परिवहन, लीड, लिफ्ट शुल्क आदि शामिल होंगे।</p> <p>खिड़कियों के अनुमानित आयाम (मीटर में): 1.5 x 1.5 मीटर (03 संख्या)</p>		

<p>निविदा मद सं. 30.</p>	<p>मार्बल स्टोन प्लेटफॉर्म पर अनुमोदित रंग और शेड के न्यूनतम 16 मिमी से 18 मिमी (एकल लंबाई में) औसत मोटी मशीन कट मिरर पॉलिश ग्रेनाइट पत्थर के प्लेटफॉर्म प्रदान करना और ठीक करना और पर्याप्त आकार के अंडरकाउंटर शेल्फ में, स्लैब को रखने के लिए दीवार के अंदर पर्याप्त चेस काटना, एलपीजी पाइप कनेक्टिंग होल बनाना बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी कार्य पूर्ण करना। सिलिकॉन सीलेंट के साथ जोड़ को सील करना, डबल मोल्डिंग और उजागर किनारों को गोल करना, सिंक के लिए कट आउट बनाना, दीवार के साथ जोड़ों को सील करना, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी कार्य पूर्ण करना। ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म और शेल्फ के अनुमानित आकार नीचे दिए गए हैं:</p> <p>(क) कुकिंग प्लेटफॉर्म: 2.57 मी x 0.6 मी (ख) प्रिपैरेशन प्लेटफॉर्म (सिंक सहित): 2.2 मी x 0.6 मी (ग) शेल्फ: 0.9 x 0.6 मीटर</p> <p>ग्रेनाइट की मूल दर ₹ 2300/- प्रति वर्ग मीटर है जिसमें कर शामिल नहीं है नोट:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खुले हुए योजना क्षेत्र को केवल माप और भुगतान के लिए माना जाएगा। 2. यह मद रसोई क्षेत्र में निष्पादित किया जाएगा। 	<p>वर्ग मीटर</p>	<p>4</p>
<p>निविदा मद सं. 31.</p>	<p>15-20 मिमी औसत मोटी मार्बल स्टोन क्षैतिज प्लेटफॉर्म (लगभग 2.5 मीटर x 0.6 मीटर और 2.2 मीटर x 0.6 मीटर) प्रदान करना और फिक्स करना, जिसमें दोहरी परत मार्बल स्टोन (सैंडविच) और ऊर्ध्वाधर समर्थन (लगभग प्रत्येक वर्टिकल सपोर्ट का आकार 0.8 मीटर x 0.6 मीटर है) पर्याप्त मध्यवर्ती वर्टिकल सपोर्ट के साथ है, ताकि ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म का भार लिया जा सके। इस दर में एडहेसिव, श्रम, एलपीजी पाइप कनेक्टिंग होल बनाने की लागत सहित शटर को फिक्स करना शामिल है एवं बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी कार्य पूर्ण किए जाएं।</p> <p>नोट: क्षैतिज भाग के लिए एक्सपोज्ड प्लान एरिया और ऊर्ध्वाधर भाग के लिए ऊंचाई को केवल माप और भुगतान हेतु माना जाएगा।</p>	<p>वर्ग मीटर</p>	<p>9</p>
<p>निविदा मद सं. 32.</p>	<p>मैरिन प्लाई संरचना से बनी सभी मॉड्यूलर इकाइयां, जो अंडर स्टोरेज शटर के लिए IS 710: 2024 के अनुरूप हैं, ओवरहेड और लंबी यूनिट कैकर्स, एसएस 304 एक्सेसरीज, ओवरहेड और लंबी इकाइयों के लिए ग्लास के साथ एल्यूमीनियम प्रोफाइल शटर, अंडर स्टोरेज शटर के लिए जी-प्रोफाइल एल्यूमीनियम हैंडल, सभी शटर के लिए सॉफ्ट क्लोजिंग हिंज आदि के लिए बैंक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार ग्लास के साथ मैरिन प्लाई संरचना से बनी हैं, इन मॉड्यूलर किचन यूनिटों की डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण और स्थापना। रसोई के लिए अनुमानित योजना क्षेत्र 3.6 मीटर x 2.1 मीटर है।</p> <p>नोट:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संदर्भ रेखाचित्र और माप केवल सांकेतिक है और उद्धरण के उद्देश्य के लिए हैं। 2. ठेकेदार द्वारा कोई भी दर उद्धृत करने से पहले कार्यस्थल का दौरा किया जाए। 3. ठेकेदार अपने खर्च पर कार्य सौंपे जाने के बाद बैंक से डिजाइन और शॉप ड्राइंग के लिए अनुमोदन प्रदान और प्राप्त करेगा। <p>उद्धृत दरों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:</p>	<p>सं.</p>	<p>1</p>


	<p>(i) मॉड्यूलर किचन सेट की आपूर्ति, निर्माण और स्थापना के लिए आवश्यक मॉड्यूलर यूनिट के साथ मॉड्यूलर किचन सेट के लिए शॉप डिजाइन प्रदान करना, मैरिन प्लाई संरचना, एल्यूमीनियम प्रोफाइल शटर, जी-प्रोफाइल हैंडल, आवश्यक हार्डवेयर आदि, जिसमें लेआउट प्रदान करना, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न 3डी स्केच शामिल है जो प्रस्तावित रसोई व्यवस्था के आकार और समग्र रूपरेखा को इंगित करता है।</p> <p>(ii) अंडर काउंटर कैबिनेट शटर/दराज इकाइयां: 19 मिमी मोटी, मैरिन ग्रेड प्लाईवुड से बनी होनी चाहिए जो आईएस 710: 2024 के अनुरूप हो, जिसमें 1 मिमी मोटी खरोंच प्रतिरोधी ग्लासी सजावटी पोस्ट फॉर्म फैक्ट्री प्रेस लैमिनेट हो, जो एसपोज्ड सतह पर अनुमोदित मेक, शेड और रंग का हो और सभी आंतरिक सतहों सहित छिपी हुई सतहों के लिए 0.6 मिमी मोटी सफेद लैमिनेट (बैलेंसिंग लैमिनेट) हो, जिसे हेटीच या हाफेल या किसी अन्य अनुमोदित समकक्ष मेक के टेलिस्कोपिक चैनल सिस्टम का उपयोग करके मार्बल स्टोन पार्टिशन पर लगाया जाना चाहिए। अन्य किनारे जो पोस्ट फॉर्म नहीं हैं, उन्हें अनुमोदित मेक एडहेसिव का उपयोग करके अनुमोदित रंग की 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग के साथ एज बैंड किया जाना चाहिए। शटरों को अनुमोदित मेक, शेड और रंग के एल्यूमीनियम जी प्रोफाइल हैंडल और हेटीच या हाफेल या समकक्ष मेक के एसएस 304 सॉफ्ट क्लोजिंग और जंग प्रतिरोधी कब्जों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।</p> <p>ड्राअर यूनिट के विवरण :-</p> <p>(i) कटलरी बास्केट, कप और सॉसर यूनिट और थाली बास्केट (01 प्रत्येक)</p> <p>(ii) बोटल पुल आउट यूनिट (01 नग)</p> <p>(iii) हेवी ड्यूटी ग्रेन बास्केट और प्लेन बास्केट (01 प्रत्येक)</p> <p>(iv) मल्टीपर्पस बड़ी प्लेन बास्केट (02 नग)</p> <p>(v) प्लेन बास्केट (03 नग)</p> <p>(vi) थाली बास्केट (01 नग)</p> <p>() गैस सिलेंडर ट्रॉली (01 संख्या)</p> <p>(vii) सिलेंडर इकाई के लिए डबल शटर: 0.6 0.7 मीटर</p> <p>(viii) सिंक इकाई के लिए डबल शटर: 0.8 0.7 मीटर</p> <p>(ix) शेल्फ इकाई के लिए डबल शटर: 0.95 0.7 मीटर</p> <p>(xi) अन्य सहायक उपकरण जैसे डिटर्जेंट होल्डर (01 प्रत्येक), डस्टबिन होल्डर (01 प्रत्येक)।</p> <p>जंग और कार्यात्मक उपयोग के प्रति हिंजेज़ और टेलिस्कोपिक चैनलों पर न्यूनतम 10 साल की वारंटी प्रदान की जानी है।</p>		
--	--	--	--

<p>(iii) ओवरहेड कैबिनेट: 19 मिमी मोटी मरीन ग्रेड प्लाईवुड के साथ ओवरहेड इकाइयों के लिए निर्मित/फैब्रिकेट किया जाएगा जो आईएस 710: 2024 के अनुरूप होगा, जिसमें 1 मिमी मोटी खरोंच प्रतिरोधी ग्लासी सजावटी पोस्ट फॉर्म फैक्ट्री प्रेस लैमिनेट होगी, जो अनुमोदित मेक, शेड और रंग के साथ एक्सपोज़्ड सतह के लिए और आंतरिक सतहों के लिए 0.6 मिमी मोटी सफेद लैमिनेट (बैलेंसिंग लैमिनेट) होगी। अन्य किनारे जो पोस्ट फॉर्म नहीं हैं, उन्हें अनुमोदित मेक एडहेसिव का उपयोग करके अनुमोदित रंग के 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग के साथ एज बैंड किया जाएगा। ओवरहेड कैबिनेट को 10 मिमी मोटी, सपाट और पॉलिश किनारों के साथ क्लियर ग्लास ऐडजस्टेबल शेल्फ के साथ पर्याप्त संख्या में एसएस बटन प्रदान किए जाएंगे। कैबिनेट के अनुमानित आकार: - (i) कुकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर (डबल शटर)- 0.9 मीटर x 0.3 मीटर x 0.7 मी -02 संख्या (अनुमानित आकार) () उपरोक्त प्रिपैरेशन प्लेटफॉर्म (डबल शटर) - 0.9 मीटर x 0.3 मीटर x 0.7 मीटर-02 संख्या (अनुमानित आकार) 1 मिमी लैमिनेट की मूल कीमत जीएसटी को छोड़कर ₹ 700 प्रति वर्ग मीटर है।</p>		
<p>(iv) टॉल यूनिट : 19 मिमी मोटी मरीन ग्रेड प्लाईवुड के साथ निर्मित की जानी चाहिए जो आईएस 710: 2024 के अनुरूप हो, जिसमें 1 मिमी मोटी खरोंच प्रतिरोधी ग्लासी सजावटी पोस्ट फॉर्म फैक्ट्री प्रेस लैमिनेट का उपयोग किया गया हो, जो अनुमोदित मेक, शेड और रंग के हों, जो एक्सपोज़्ड सतह के लिए हों और सभी आंतरिक सतहों के लिए 0.6 मिमी मोटी सफेद लैमिनेट का उपयोग किया गया हो, जिसमें छिपी हुई सतहें भी शामिल हैं (बैलेंसिंग लैमिनेट)। अन्य किनारे जो पोस्ट फॉर्म नहीं हैं, उन्हें अनुमोदित मेक एडहेसिव का उपयोग करके अनुमोदित रंग के 2 मिमी मोटी पीवीसी एज बैंडिंग के साथ एज बैंड किया जाएगा। टॉल यूनिट में 04-10 मिमी मोटी, सपाट और पॉलिश किए हुए किनारे, स्पष्ट कांच के ऐडजस्टेबल शेल्फ, पर्याप्त संख्या में एसएस बटन ऐडजस्टेबल शेल्फ, पर्याप्त संख्या में एसएस बटन और 04 सं. एसएस पैर और टॉल यूनिट के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का प्रावधान किया जाएगा। लंबी इकाई का अनुमानित आकार: 0.5 0.6 2.1 (01 सं.) 1 मिमी लैमिनेट की मूल कीमत जीएसटी को छोड़कर ₹ 700 प्रति वर्ग मीटर है।</p>		
<p>(v) प्रोफाइल शटर: ओवरहेड और ऊंचे यूनिट को अनुमोदित डिज़ाइन, रंग और निर्माण के 45 मिमी एल्यूमीनियम प्रोफाइल शटर के साथ 5 मिमी मोटी स्पष्ट ग्लास शटर के साथ एसएस 304 सॉफ्ट क्लोजिंग और हेटीच या हाफेल या समकक्ष निर्माण के जंग प्रतिरोधी हिंजेज़ और आवश्यक हार्डवेयर आदि के साथ प्रदान किया जाना है, सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित रूप में पूर्ण किए जाएं। जंग और कार्यात्मक उपयोग के खिलाफ हिंजेज़ पर न्यूनतम 10 साल की वारंटी प्रदान की जानी है।</p>		


	<p>नोट :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामग्री परीक्षण प्रमाण पत्र और मॉड्यूलर रसोई के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे 19 मिमी मोटी मरीन ग्रेड प्लाई, 1 मिमी मोटी खरोंच प्रतिरोधी ग्लॉसी लैमिनेट, कब्जे, हार्डवेयर आदि का प्रमाण आवश्यक वारंटी और शर्तों के साथ सामग्री की खरीद रसीदों द्वारा समर्थित ही प्रस्तुत किया जाए। यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी और सत्यापन के लिए विनिर्माण इकाई में बैंक के निर्देश पर आवश्यक साइट का दौरा किया जाना है। 2. मूल कीमत (जीएसटी छोड़कर) निम्नानुसार है : <ol style="list-style-type: none"> 1. एसएस 304 सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेज़ - Rs. 600/- प्रति जोड़ी 2. चमकदार लैमिनेट - रु. 700/- प्रति वर्ग मीटर। 3. दूरबीन चैनल - रु. 88881/- प्रति सेट 4. कटलरी बास्केट - रु. 3,500 5. कप एंड सॉसर यूनिट - रु. 2,400 6. थाली बास्केट - रु. 88881 7. बोतल पुल आउट यूनिट - रु. 3,700 8. हेवी ड्यूटी ग्रेन बास्केट - रु. 88881 9. प्लेन बास्केट - रु. 2,100 10. मल्टीपर्पस बड़ी बास्केट - रु. 88881 11. गैस सिलेंडर ट्रॉली - रु. 88881 12. डिटर्जेंट होल्डर - रु. 1,100 13. डस्टबिन होल्डर - रु. 600 		
--	---	--	--

<p>सील के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर :</p>
<p>स्थान :</p>
<p>तिथि :</p>

Top View



Elevation view for Cooking Platform



Elevation view of Preparation Platform

